# छत्तीसगढ़ विधान सभा

( द्वितीय )

लोक लेखा समिति

(2006-2007)

## चौसठवां प्रतिवेदन

## औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई की जल प्रदाय परियोजना को बूट आधार पर निजी क्षेत्र में सौंपे जाने के प्रकरण की जांच

(यह प्रतिवेदन दिनांक 16 मार्च, 2007 को विधान सभा में प्रस्तुत किया गया )

राजनांदगांव
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय
2007

# लोक लेखा समिति

(वर्ष 2006–2007)

**सभापति :**

1. श्री रविन्द्र चौबे

**सदस्यगण :**

2. श्री विजय अग्रवाल
3. श्री संजय ढीढी
4. श्री सिद्धनाथ पैकरा
5. श्री इंदर चोपड़ा
6. श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम
7. डॉ. शक्राजीत नायक
8. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
9. श्री भूपेश बघेल

**विशेष आमंत्रित सदस्य :**

10. श्री कमलभान सिंह, सभापति (प्राक्कलन समिति)

**विधान सभा सचिवालय :**

1. श्री देवेन्द्र वर्मा, सचिव
2. श्री शिव कुमार राय, उप सचिव
3. श्री आर.के. अग्रवाल, प्रशासकीय अधिकारी
4. श्री रामफल कंवर, अनुभाग अधिकारी

# विषय सूची


| क्रमांक | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्रस्तावना | 1 – 8 |
| 2. | प्रतिवेदन (जॉच के बिन्दुओं की विवेचना एवं निष्कर्ष) | |
| | (1) उद्योगों को पानी की आपूर्ति का कार्य निजी कंपनी को सौंपे जाने के उद्देश्य एवं औचित्य। | 9 – 22 |
| | (2) क्या रेडियस वाटर कंपनी के साथ अनुबंध करने हेतु औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को अधिकारिता प्राप्त थी ? | 23 – 37 |
| | (3) क्या रेडियस वाटर कंपनी के साथ अनुबंध करने के पूर्व औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ने राज्य शासन, उद्योग विभाग एवं जल संसाधन विभाग अथवा अन्य समस्त आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली थी एवं प्रक्रियागत् औपचारिकताएं पूर्ण कर ली थी। | 38 – 41 |
| | (4) क्या अनुबंध की शर्ते एवं प्रावधान विधि के अनुसार औचित्यपूर्ण हैं ? | 42 – 47 |
| | (5) क्या रेडियस वाटर कंपनी द्वारा अनुबंध की शर्तो का पूर्णतः पालन किया जा रहा है ?<br>(6) क्या रेडियस वाटर कंपनी के साथ पानी की आपूर्ति का अनुबंध करते समय एनीकट निर्माण के कारण निजी क्षेत्र की जमीन अधिग्रहित की गई थी और क्या प्रभावित किसानों को मुआवजे की राशि प्राप्त हो गई है और यदि हो गई है तो मुआवजा निर्धारण का आधार क्या है ?<br>(7) क्या किसानों को शिवनाथ नदी से पानी लेने से रेडियस वाटर कंपनी द्वारा रोका जा रहा है और क्या किसानों को एनीकट जल का उपयोग करने अथवा कुआं खोदकर जल प्राप्त करने के लिए रेडियस वाटर कंपनी द्वारा कोई शुल्क लिया जाता है ? | 48 – 50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (8) | ऐसा कोई विषय जो जांच के दौरान समिति जांच के बिन्दुओं में शामिल करना चाहे। | 51 – 55 |
| 4. | निष्कर्ष / सिफारिश | | 56 – 63 |
| 5. | परिशिष्ट | | |
| | 1. | भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग का पत्र क्रमांक–5(IX) / 1 / 91–बी.ए.–1 दिनांक 7 मार्च, 1991 (परिशिष्ट –एक) | 64 |
| | 2. | म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड का मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (परिशिष्ट–दो) | 66 |
| | 3. | प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम(रायपुर) लिमिटेड का पत्र क्रमांक–ए.के.व्ही.एन. / आर / 96 / 5374, रायपुर दिनांक 20 अगस्त, 1996 (परिशिष्ट–तीन) | 82 |
| | 4. | दिनांक 21 जनवरी, 1997 को शिवनाथ नदी पर एनीकट हेतु एच.ई.जी. लिमिटेड एवं एम.पी.ए.के.व्ही.एन और एम.पी.ए.के.व्ही.एन. के मध्य हुए बैठक का कार्य विवरण (परिशिष्ट–चार) | 84 |
| | 5. | औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर एवं मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के मध्य जल प्रदाय व्यवस्था हेतु शिवनाथ नदी पर बोरई में एनीकट निर्माण के लिए एक संयुक्त उपक्रम के गठन हेतु आयोजित बैठक दिनांक 6 मार्च, 1997 का कार्य विवरण (परिशिष्ट–पॉच–क, ख) | 85<br>89 |
| | 6. | महाप्रबंधक, एच.ई.जी. लिमिटेड, दुर्ग का पत्र क्रमांक–एनीकट / ए.के.एस. / 14954, दिनांक 27 मार्च, 1997 (परिशिष्ट–छः) | 92 |
| | 7. | मुख्य अभियंता, मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का पत्र क्रमांक–02 / टीएस / टीसी / 03 / 90, भोपाल 26 अप्रैल, 1997 (परिशिष्ट–सात) | 95 |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम(रायपुर) लि.का पत्र क्रमांक–के.वि.नि. रा/आर/97/ 347, दिनांक 15 अप्रेल,1997 (परिशिष्ट–आठ) | 96 |
| 9. | प्रबंध संचालक, म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर लिमिटेड का अर्धशासकीय पत्र क्रमांक–क.वि. नि.रा./आर/97/807, दिनांक 03 मई, 1997 (परिशिष्ट–नौ) | 99 |
| 10. | म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर लिमिटेड की 68 वीं बैठक, दिनांक 24 मार्च, 1998 का प्रस्तावित कार्यवाही विवरण (परिशिष्ट–दस) | 101 |
| 11. | वाइस प्रेसिडेंट, एच.ई.जी. लिमिटेड का पत्र क्रमांक– एच.ई.जी./एनीकट/ए.के.एस./1837 दिनांक 15 मई, 1997 (परिशिष्ट– ग्यारह) | 112 |
| 12. | वाइस प्रेसिडेंट, एच.ई.जी. लिमिटेड का फेक्स मेसेज (परिशिष्ट– बारह) | 114 |
| 13. | अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का पत्र क्रमांक–19176/3326/11/अ/89 भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर, 1989 ( परिशिष्ट– तेरह) | 116 |
| 14. | कैलाश इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, राजनांदगांव का पत्र क्रमांक–के.ई.सी.एल./आरजेएन/97–पी, दिनांक 14 अक्टूबर, 1997 (परिशिष्ट– चौदह) | 117 |
| 15. | बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र, जिला–दुर्ग के जल प्रदाय परियोजना की विद्यमान परिसंपत्तियों की लीज–डी–5, दिनांक 18 जनवरी, 1999 (परिशिष्ट– पन्द्रह) | 118 |
| 16. | संचालक मंडल की 70 वीं बैठक दिनांक 21 जुलाई, 1998 का कार्यवाही विवरण (परिशिष्ट– सोलह) | 142 |
| 17. | संचालक मंडल की 71 वीं बैठक दिनांक 1 सितम्बर, 1998 की कार्यवाही विवरण (परिशिष्ट– सत्रह) | 146 |

| | | |
|---|---|---|
| 18. | म.प्र.स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का पत्र क्रमांक–एम.पी.एस.आई.डी.सी. /सीई/टीएस/एस –95/2380 भोपाल, दिनांक 5 जून, 1998 (परिशिष्ट– अठारह) | 153 |
| 19. | म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग का आदेश क्रमांक–18/1/91/माध्यम/31/880 भोपाल, दिनांक 1 जून, 1998 ( परिशिष्ट– उन्नीस) | 154 |
| 20. | टेन्डर डोक्यूमेंट संबंधी अनुशंसा पत्रक (परिशिष्ट– बीस) | 163 |
| 21. | कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को टेंडर डाक्यूमेंट जारी नहीं करने के संबंध में प्रबंधक, श्री नीरज विजय की टीप (परिशिष्ट– इक्कीस) | 164 |
| 22. | निविदा समिति की बैठक दिनांक 20 जुलाई, 1998 की कार्यवाही विवरण (परिशिष्ट– बाईस) | 166 |
| 23. | निविदा समिति की बैठक दिनांक 31 अगस्त, 1998 की कार्यवाही विवरण (परिशिष्ट– तेईस) | 168 |
| 24. | छत्तीसगढ़ इरीगेशन एक्ट– 1931 की धारा 26 से धारा 44 तक (परिशिष्ट– चौबीस) | 171 |
| 25. | मुख्य अभियंता, महानदी–गोदावरी–कछार, रायपुर का ज्ञाप क्रमांक–3 जे–1/कार्य/8/ए/मगोक/99, रायपुर दिनांक 13 दिसम्बर, 2002 (परिशिष्ट– पच्चीस) | 175 |
| 26. | प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग का पत्र क्रमांक–5577/51/सीबीएमपी/जसं/तशा/ औजप्र/ 02/डी–4 रायपुर दिनांक 24 नवम्बर, 2004 ( परिशिष्ट– छब्बीस) | 227 |
| 27. | प्रबंध संचालक, म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर लिमिटेड का पत्र क्रमांक–ए.के.व्ही.एन. /आर/98/3865, दिनांक 8 सितम्बर, 1998 (परिशिष्ट– सत्ताईस) | 229 |

| | | |
|---|---|---|
| 28. | रेडियस वाटर लिमिटेड, राजनांदगांव का पत्र क्रमांक–आर.डब्ल्यू.एल./आरजेएन/98–251, दिनांक 14 सितम्बर, 1998 (परिशिष्ट– अट्ठाईस) | 230 |
| 29. | बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र में बूट आधार पर जल प्रदाय योजना हेतु अनुबंध का प्रारूप (परिशिष्ट– उन्तीस) | 231 |
| 30. | एम.पी.ए.के.व्ही.एन. लिमिटेड रायपुर स्तर पर प्रारंभिक परीक्षण टीप एवं मूल निविदा दस्तावेज से अनुबंध प्रारूप की जांच हेतु मुख्य अभियंता, एम.पी.एस.आई.डी.सी.भोपाल को प्रेषित किये जाने संबंधी अभिलेख (परिशिष्ट– तीस) | 261 |
| 31. | बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र में बूट आधार पर जल प्रदाय योजना का अनुबंध दिनांक 5 अक्टूबर, 1998 (परिशिष्ट– इकतीस) | 268 |
| 32. | विधानसभा की प्रश्नोत्तरी कार्यवाही दिनांक 13 मार्च, 2003 की प्रति (परिशिष्ट– बत्तीस) | 300 |
| 33. | कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेड, दुर्ग का अर्धशासकीय पत्र क्रमांक–3747/मुकाअ/जि.पं./02, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 (परिशिष्ट– तैंतीस) | 303 |
| 34. | लोकलेखा समिति द्वारा दुर्ग जिले में रेडियस वाटर लिमिटेड द्वारा निर्मित एनीकट स्थल का निरीक्षण दिनांक 13 अगस्त, 2004 का कार्य विवरण (परिशिष्ट– चौंतीस) | 311 |
| 35. | रेडियस वाटर लिमि. राजनांदगांव का पत्र क्रमांक–आर.डब्ल्यू.एल./बीओ.ओ.टी/99–51, दिनांक 27 सितम्बर, 1999 (परिशिष्ट– पैंतीस) | 316 |
| 36. | रेडियस वाटर लिमिटेड, राजनांदगांव का पत्र क्रमांक–आर.डब्ल्यू.एल./बी.ओ.ओ.टी./99–69, दिनांक 29 मार्च, 1999 (परिशिष्ट– छत्तीस) | 317 |
| 37. | म.प्र.आद्यौगिक केन्द्र विकास निगम, (रा) लिमिटेड, रायपुर की 74 वीं बैठक दिनांक 5 अप्रेल, 1999 का कार्य विवरण (परिशिष्ट– सैंतीस) | 318 |

| | | |
|---|---|---|
| 38. | म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर लिमिटेड का पत्र क्रमांक–के.वि.नि.रा.(आर)/99/74वीं/625, दिनांक 4 मई, 1999 द्वारा प्रेषित 74 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण (परिशिष्ट– अड़तीस) | 320 |
| 39. | रेडियस वाटर लिमिटेड, राजनांदगांव का पत्र क्रमांक–आर.डब्ल्यू.एल/बी.ओ.ओ.टी./99–60, दिनांक 18 मार्च, 1999 (परिशिष्ट– उनचालीस) | 322 |
| 40. | पूववर्ती समिति ( परिशिष्ट– चालीस) | 324 |
| 41. | एसपीव्ही (special purpose vehicle) – क्या, कैसे, क्यों ? | 328 |

# प्रस्तावना

दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के पानी को निजी कम्पनी को बेचे जाने के संबंध में वर्ष 2002 के दिसम्बर माह में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए । इन समाचारों में नदी का पानी निजी कम्पनी के जरिये औद्योगिक इकाईयों को बेचने के राज्य शासन के निर्णय को साजिश निरूपित किया गया । समाचार पत्रों में नदी के जल का उपयोग किसानों को न करने देने, मत्स्य पालन में ग्रामवासियों को कठिनाई होने के साथ-साथ रेडियस वाटर लिमिटेड के साथ जल प्रदाय का अनुबंध करने में खामियॉ होने संबंधी समाचार भी प्रकाशित हुए ।

प्रकाशित समाचारों का संज्ञान लेते हुए लोक लेखा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 6.1.2003 में जल प्रदाय की अनुबंधकर्ता कम्पनी एवं मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम) के मध्य हुए समझौते के संबंध में उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग एवं राजस्व विभाग से विभागीय टीप एवं अनुबंध की प्रति मंगायें जाने का और स्थल निरीक्षण का निर्णय लिया गया ।

समिति के उक्त निर्णय से तत्कालीन माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विचारार्थ एक टीप दिनांक 9.1.2003 को प्रेषित की गई, जिसमें यह उल्लेख किया गया लोक लेखा समिति समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की गंभीरता एवं आम जनता को हो रही परेशानियों को देखते हुए इस मामले का परीक्षण करना चाहती है । इस प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष ने जॉच करने हेतु अनुमति प्रदान की ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन के पश्चात् समिति ने संबंधित विभागों से बूट आधार पर किए गए अनुबंध के संबंध में जानकारियॉ प्राप्त करने हेतु निरंतर पत्राचार किया । विभागीय सचिवों के साक्ष्य भी लिपिबद्ध किए एवं स्थल निरीक्षण भी किया ।

समिति की बैठकों में प्रकरण के जॉच के संबंध में की गई मुख्य–मुख्य कार्यवाही का विवरण प्रस्तावना के साथ पृथक् से संलग्न किया जा रहा है ।

समिति को इस प्रकरण की जॉच में अधिक समय लगने का कारण यह है कि राज्य शासन से समिति को यथा समय दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए । अनेकों बार स्मरण कराने के पश्चात् आधी–अधूरी जानकारियॉ प्राप्त हुईं। यहॉ तक कि विभागीय सचिवों द्वारा साक्ष्य में जानकारी एक निश्चित समयावधि में प्रेषित करने के आश्वासन के बावजूद महीनों–महीनों जानकारियों के लिये समिति इन्तजार करती रही, बार–बार स्मरण कराने के पश्चात् आधी–अधूरी जानकारियॉ प्राप्त हुई । फलस्वरूप समिति को दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों को क्रमबद्ध करने एवं विवेचना करने में काफी असुविधा हुई । जॉच के दौरान समिति को प्रेषित दस्तावेजों, विभागीय सचिवों के समिति के समक्ष साक्ष्य एवं समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत प्रकरण पर एकाधिक बार समिति ने विचार–विमर्श किया तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया ।

सभा में अनेकों अवसरों पर माननीय सदस्यों ने रेडियस वाटर लिमिटेड के साथ मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा जल प्रदाय हेतु किये गये समझौते को आधार बनाकर अनेक प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण सूचनायें भी प्रस्तुत की, जिन पर सदन में चर्चा भी हुई । समिति को सभा में उठाये गये इन प्रश्नों एवं ध्यानाकर्षण सूचनाओं के माध्यम से भी काफी उपयोगी जानकारियॉ संज्ञान में आईं ।

वर्ष 2005–06 की लोक लेखा समिति ने इस प्रकरण के प्रारूप प्रतिवेदन पर दिनांक 29 मार्च, 2006 को विचार–विमर्श किया और समिति के समक्ष शासन द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर समिति ने **प्रारंभिक प्रतिवेदन की दिशा निर्धारित करते हुए यह निर्णय लिया कि प्रतिवेदन की अनुशंसा में अनुबंध को तत्काल**

**प्रभाव से निरस्त करने और संबंधित दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही करने की अनुशंसा के साथ प्रारूप प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।**

वर्ष 2006–07 की लोक लेखा समिति ने शासन से प्राप्त दस्तावेजों का गंभीरता से अध्ययन एवं मनन करते हुये तथा उन्हें क्रमबद्ध स्वरूप देते हुये अनंतिम प्रारूप प्रतिवेदन की रचना की तथा लोक लेखा समिति के सभापति एवं वर्ष 2005–06 की लोक लेखा समिति के सभापति ने दस्तावेजों का अवलोकन एवं अध्ययन कर तथा गहन विचार–विमर्श उपरांत अनंतिम प्रतिवेदन का दिनांक 12.3.2007 को अनुमोदन किया और अनंतिम प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति के समक्ष विचार एवं अंतिम अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया ।

सभापति जी के निर्देशानुसार समिति का अनंतिम प्रतिवेदन दिनांक 13.3.2007 को समिति के समक्ष अवलोकन, अध्ययन एवं विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया । प्रतिवेदन को पढ़कर सुनाया गया । अनंतिम प्रारूप प्रतिवेदन को समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तथा सभापति जी को अनुमोदित अंतिम प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत करने हेतु माननीय अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया ।

| | | |
|---|---|---|
| हस्ता./– | हस्ता./– | हस्ता./– |
| **( कमलभान सिंह )** | **( डॉ. रामचंद्र सिंहदेव )** | **( रविन्द्र चौबे )** |
| विशेष आमंत्रित सदस्य एवं सभापति, प्राक्कलन समिति, वर्ष 2006–07 | सभापति लोक लेखा समिति वर्ष 2005–06 | सभापति लोक लेखा समिति वर्ष 2006–07 |

**लोक लेखा समिति, वर्ष 2006–07 के माननीय सदस्य**

| | | | |
|---|---|---|---|
| हस्ता./– | हस्ता./– | हस्ता./– | हस्ता./– |
| (लाल महेन्द्र सिंह टेकाम) | ( इन्दर चोपड़ा ) | ( सिद्धनाथ पैकरा ) | (संजय ढीढी ) |
| हस्ता./– | हस्ता./– | हस्ता./– | हस्ता./– |
| ( विजय अग्रवाल ) | ( डॉ. शक्राजीत नायक ) | ( गणेशशंकर बाजपेयी) | ( भूपेश बघेल ) |

<u>समिति की बैठकों में प्रकरण के जॉच के संबंध में की गई मुख्य–मुख्य कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण</u>

औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई की जल प्रदाय परियोजना को बूट आधार पर निजी क्षेत्र में सौंपे जाने की जॉच हेतु लोक लेखा समिति की बैठकों में सम्पादित मुख्य–मुख्य कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण :–

1. समिति की बैठक दिनांक 6 जनवरी, 2003 को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग तथा राजस्व विभाग से प्रकरण पर टीप प्राप्त करने तथा स्थल निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया ।

2. समिति की बैठक दिनांक 30 जनवरी, 2003 को तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव ने आश्वस्त किया कि विषयांकित प्रकरण पर विभागीय टीप 10 दिन के अंदर समिति को भेज दी जाएगी ।

3. समिति की बैठक दिनांक 24 अप्रेल, 2004 को तत्कालीन विभागीय प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग का मौखिक साक्ष्य हुआ । समिति ने विभागीय सचिव को जानकारियॉ भेजने हेतु निर्देशित किये जाने पर विभागीय सचिव ने एक सप्ताह में समस्त जानकारियॉ भेजने हेतु आश्वस्त किया ।

4. समिति की बैठक दिनांक 8 जुलाई, 2004 को तत्कालीन विभागीय प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग का मौखिक साक्ष्य हुआ । विभागीय सचिव ने जानकारी भेजने का आश्वासन दिया ।
तत्कालीन प्रमुख सचिव, जल संसाधंन विभाग का भी मौखिक साक्ष्य हुआ । विभागीय सचिव ने आश्वस्त किया कि एक माह में प्रकरण पर विभागीय टीप समिति को उपलब्ध करा दी जाएगी ।

5. समिति की बैठक दिनांक 23 जुलाई, 2004 में प्रकरण में जॉच के बिन्दु निम्नानुसार तय किए गए :–

(1) उद्योगों को पानी की आपूर्ति का कार्य निजी कम्पनी को सौंपे जाने के उद्देश्य एवं औचित्य ।

(2) क्या रेडियस वाटर कम्पनी के साथ अनुबंध करने हेतु औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को अधिकारिता प्राप्त थी ?

(3) क्या रेडियस वाटर कम्पनी के साथ अनुबंध करने के पूर्व औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ने राज्य शासन, उद्योग विभाग एवं जल संसाधन विभाग अथवा अन्य समस्त आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली थी एवं प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूर्ण कर ली थी ?

(4) क्या अनुबंध की शर्ते एवं प्रावधान विधि के अनुसार औचित्यपूर्ण है ?

(5) क्या रेडियस वाटर कम्पनी द्वारा अनुबंध की शर्तों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है ?

(6) क्या रेडियस वाटर कम्पनी के साथ पानी की आपूर्ति का अनुबंध करते समय एनीकट निर्माण के कारण निजी क्षेत्र की जमीन अधिग्रहित की गई थी और क्या प्रभावित किसानों को मुआवजे की राशि प्राप्त हो गई है और यदि हो गई है तो मुआवजा निर्धारण का आधार क्या है ?

(7) क्या किसानों को शिवनाथ नदी से पानी लेने से रेडियस वाटर कम्पनी द्वारा रोका जा रहा है और क्या किसानों को एनीकट जल का उपयोग करने अथवा कुऑ खोदकर जल प्राप्त करने के लिए रेडियस वाटर कम्पनी द्वारा कोई शुल्क लिया जाता है ?

(8) ऐसा कोई विषय जो जॉच के दौरान समिति जॉच के बिन्दुओं में शामिल करना चाहे ।

समिति की बैठक दिनांक 21 दिसम्बर, 2004 में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी का अवलोकन किया । समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि लोक लेखां समिति के सदस्य विभागों से प्राप्त नस्तियों एवं जानकारी का अवलोकन एवं अध्ययन कर लें । इस हेतु श्री रविन्द्र चौबे व डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य को अधिकृत किया गया ।

7. समिति की बैठक दिनांक 7 फरवरी, 2005 को प्रकरण की जॉच के बिन्दुओं पर तत्कालीन प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग का मौखिक साक्ष्य हुआ । विभागीय प्रमुख सचिव ने आश्वस्त किया कि समिति को वांछित जानकारियॉ 15 दिनों में उपलब्ध करा दी जायेगी ।

तत्कालीन विभागीय प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग का भी मौखिक साक्ष्य लिया गया ।

8. समिति की बैठक दिनांक 28 जुलाई, 2005 में निर्णय लिया कि प्रतिवेदन तैयार करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाए तथा प्रतिवेदन तैयार करने में निम्न तथ्यों का समावेश करने का कार्य भी प्रारंभ किया जाए :–

(1) उद्योगों को जल प्रदाय की आपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनी को दिये जाने की कोई जरूरत नहीं थी । जिस तरह सरकार द्वारा अन्य उद्योगों को पानी की आपूर्ति की जाती है, उसी तरह की कार्यवाही यहॉ भी की जा सकती थी ।

(2) रेडियस वाटर कंपनी के साथ मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने जिन शर्तों पर अनुबंध किया है, वह अत्यधिक आपत्तिजनक है और उसमें अनियमितता दिखाई देती है ।

(3) जो अनुबंध हुआ है, वह अवैधानिक है । अनुबंध करने वाले अधिकारी को अनुबंध का प्राधिकार नहीं था । शासन की अनुमति के बिना न तो औद्योगिक विकास निगम और न ही सिंचाई विभाग को निजी कंपनी के साथ अनुबंध करने का प्राधिकार था ।

(4) रूपये 5 करोड़ की सम्पत्ति एक रूपये की लीज पर दी जाना भी आपत्तिजनक है ।

(5) रेडियस वाटर कंपनी द्वारा गांववालों को प्रताड़ित किया जा रहा है । शिवनाथ नदी में गांव वालों को पम्प लगाने नहीं दिया जा रहा है, यह उचित नहीं है।

(6) जितनी पानी की आवश्यकता नहीं थी, उससे अधिक पानी का अनुबंध किया गया एवं अनुबंध की यह शर्त आपत्तिजनक है कि पानी का भले कम मात्रा में उपयोग किया जाए, रेडियस वाटर कंपनी को एक निश्चित मात्रा में पानी की राशि का भुगतान किया जाना अनिवार्य है । मार्च, 2004 की स्थिति में उद्योगों से **औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड को लगभग 2 करोड़ 74 लाख रूपये प्राप्त हुए हैं किन्तु औद्योगिक केन्द्र** विकास निगम लिमिटेड द्वारा रेडियस वाटर कंपनी को 6 करोड़ 72 लाख का भुगतान किया जा चुका है । इस तरह शासन को हानि हो रही है ।

समिति ने संबंधित विभागीय प्रमुख सचिवों का भी साक्ष्य लेने का निर्णय लिया गया।

9. समिति द्वारा दुर्ग जिले का अध्ययन दौरा दिनांक 11.8.2005 से 13.8.2005 तक किया गया इस दौरान 13.8.2005 को एनीकट स्थल का निरीक्षण किया गया तथा प्रकरण पर उपस्थित ग्रामवासियों एवं अधिकारियों से चर्चा की ।

10. समिति की बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2005 को तत्कालीन विभागीय प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा अनेक बिन्दुओं की जानकारी भेजने हेतु निर्देशित किया गया ।

11. समिति की बैठक दिनांक 25 मार्च, 2006 को समिति द्वारा अनौपचारिक रूप से विचार–विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक प्रारूप प्रतिवेदन तैयार किया जाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

12. समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च, 2006 को प्रारंभिक प्रतिवेदन की मूल भावना को स्वीकृत करते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवेदन में अनुबंध को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने एवं संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की अनुशंसा के कार्यवाही प्रतिवेदन समिति के समक्ष उपस्थित किया जाए।

13. समिति की बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2006 को निर्णय लिया गया कि प्रारूप प्रतिवेदन को अनंतिम रूप से तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।

14. दिनांक 12 मार्च, 2007 को समिति के सभापति श्री रविन्द्र चौबे तथा पूर्ववर्ती समिति के सभापति श्री रामचंद्र सिंहदेव ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया एवं अंतिम रूप दिया तथा प्रतिवेदन समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया ।

15. समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च, 2007 को अंतिम प्रतिवेदन अनुमोदित किया गया तथा सभापति जी को प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया ।

# प्रतिवेदन

## जॉच के बिन्दुओं की विवेचना एवं निष्कर्ष

**बिन्दु क्रमांक–1 :– उद्योगों को पानी की आपूर्ति का कार्य निजी कम्पनी को सौंपे जाने के उद्देश्य एवं औचित्य ।**

भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग ने उनके पत्र दिनांक 7 मार्च 91[1] द्वारा मध्य प्रदेश शासन के उद्योग सचिव को दुर्ग जिले के बोरई ग्राम में ग्रोथ सेंटर प्रोजेक्ट स्थापित करने के अनुमोदन के साथ पत्र के साथ संलग्नक–1 में उन शर्तो का उल्लेख किया है, जिनका पालन राज्य शासन के द्वारा किया जाना आवश्यक है ।

संलग्नक–1 की शर्त–4 में यह उल्लेखित है कि राज्य शासन, जल प्रदाय, सिवरेज तथा अपशिष्ट के निपटान प्रबंध (डिस्पोजल सिस्टम) के संबंध में भारत शासन, शहरी विकास मंत्रालय से मशविरा करके अंतिम रूप देगा । इसके साथ ही जहॉ आवश्यक हो राज्य शासन, सिंचाई विभाग से 90 प्रतिशत जल उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करेगा । संलग्नक की शर्त–9 में भी राज्य शासन के लिये बंधनकारी था कि वह बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र को विकसित करने हेतु जो भी और जैसे भी आवश्यकता हो, संबंधित प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना के साथ ही अनुलग्नक की शर्तो के अनुसार राज्य शासन के लिये यह दायित्वाधीन है कि वह बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र में जल प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

---

1 परिशिष्ट क्रमांक– एक

औद्योगिक विकास केन्द्रों को विकसित करने हेतु मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर का गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 16 नवम्बर, 1981[2] को किया गया था । इस प्रकार गठित मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर का उद्देश्य उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों में औद्योगिक विकास केन्द्रों को विकसित करने में सहयोग करना तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है तथा औद्योगिक संस्थानों को भी सभी प्रकार का सहयोग एवं सुविधा उपलब्ध कराना है ।

उद्योगों के लिये समुचित जल प्रदाय उपलब्ध कराने के संबंध में निजी क्षेत्र का सहयोग लेने हेतु कार्यवाही का सूत्रपात औद्योगिक केन्द्र बोरई (जिला दुर्ग) स्थित मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के ज्ञापन क्रमांक 2933 दिनांक 26 जून, 1996 से आरंभ हुआ, जिसमें मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड ने अगस्त 1996 से प्रति दिन 24 लाख लीटर अतिरिक्त जल की आवश्यकता संसूचित की। मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के इस पत्र को संदर्भित करते हुये उसी आधार पर औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर के प्रबंध संचालक ने उनके पत्र क्रमांक –एकेव्हीएन/आर/96/5374 दिनांक 20 अगस्त, 1996[3] द्वारा मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को यह सूचित किया कि **"वर्तमान में प्रदाय किए जा रहे प्रति दिन 12 लाख लीटर जल के अतिरिक्त 24 लाख लीटर प्रति दिन पानी की मॉग अनुसार अगस्त 1996 से मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को 36 लाख लीटर पानी प्रति दिन प्रदाय करना होगा** । पत्र में यह भी सूचित किया कि कुछ परिवर्तन के साथ कुछ ही दिनों में 25 लाख लीटर जल प्रदाय किया जा सकता है तथा अधिक क्षमता के बी.टी. पम्प के स्थापन की प्रक्रिया चल रही है तथा इसके पूर्ण होते ही वांछित मात्रा में जल प्रदाय किया जा सकेगा, किन्तु ग्रीष्मकाल में शिवनाथ नदी में पानी का प्रवाह कम होने के कारण फरवरी से जून माह की अवधि में आवश्यकता के अनुरूप जल प्रदाय किया जाना संभव नहीं है । पत्र में यह भी सूचित किया गया कि आवश्यकता के अनुरूप जल प्रदाय हेतु पर्याप्त जल के संग्रहण हेतु एनीकट का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जिसकी

[2] परिशिष्ट क्रमांक– दो
[3] परिशिष्ट क्रमांक– तीन

अनुमानित लागत 7.50 करोड़ रूपये होगी और चूंकि इतनी बड़ी राशि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम अपने संसाधनों से उपलब्ध नहीं करा सकता और पानी की आवश्यकता भी मुख्य रूप से मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को ही है, अतः इस परिप्रेक्ष्य में संयुक्त रूप से एनीकट के निर्माण का प्रस्ताव दिया जा रहा है ।" पत्र में इस प्रस्ताव पर एच.ई. जी. लिमिटेड के सहमत होने की दशा में अंतिम रूप देने हेतु विस्तार से विचार–विमर्श की आवश्यकता भी दर्शित की गई।

मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर एवं मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के मध्य उपरोक्तानुसार प्रारंभिक पत्राचार के पश्चात् मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर एवं मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के पदाधिकारियों क्रमशः श्री व्ही.एन.पी. श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता, श्री जी.एस. मिश्रा, प्रबंध संचालक एवं श्री एस.के. तिवारी, प्रोजेक्ट इंजीनियर तथा श्री ए.के. सक्सेना, महाप्रबंधक, मेसर्स एच.ई.जी., श्री व्ही.आर. पाण्डे, उप प्रबंधक, मेसर्स एच.ई.जी. और विशेष आमंत्रित श्री एस.पी. सिंह, सलाहकार, पावर प्रोजेक्ट, एच.ई.जी. की उपस्थिति में दिनांक 21.1.1997 को मेसर्स एच.ई.जी. के सभा कक्ष में शिवनाथ नदी पर एनीकट निर्माण के संबंध में बैठक[4] सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार हुआ एवं सहमति बनी :–

1. मेसर्स एच.ई.जी लिमिटेड को उनके पावर प्लांट में शुद्ध जल की आवश्यकता के लिये जल शुद्धि संयंत्र की स्थापना अत्यावश्यक है ।

2. प्रस्ताव अनुसार मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड एनीकट के निर्माण अवधि में प्रति किलो लीटर 6.75 रूपये की दर से जल का भुगतान करेगा और इस अवधि में एनीकट की निर्माण लागत का भार मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड और मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के द्वारा वहन किया जायेगा ।

---

[4] परिशिष्ट क्रमांक– चार

3. क्योंकि मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड एनीकट के निर्माण की 50 प्रतिशत राशि वहन करेगी, अतः 15 वर्षों तक पानी की दरें 9 रूपये प्रति किलो लीटर निर्धारित की जाये ।

इस बिन्दु पर मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर का यह प्रस्ताव था कि 15 वर्ष की अवधि को 10 वर्ष रखी जाए और पानी की दर 10 रूपये प्रति किलो लीटर रखी जाये, जिस पर मेसर्स एच.ई.जी. ने उनके मुख्यालय से सलाह के पश्चात् निर्णय सूचित करने की जानकारी दी ।

4. यह भी निर्णय लिया गया कि विद्युत की दरें रूपये 3 प्रति KWH तब तक स्थिर रहेगी, जब तक कि विद्युत की दर 4.50 रूपये प्रति KWH नहीं हो जाती और रूपये 4.50 प्रति KWH से ऊपर होने पर जितनी दरों में वृद्धि होगी, उसी अनुपात में पानी की दरों में वृद्धि की जायेगी ।

5. मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड यह आश्वासन देगा कि 60 माह की अवधि में पानी की मॉग 3.60 एम.एल.डी. से 7.2 एम.एल.डी. की जायेगी ।

इन बिन्दुओं में आगे और अंतिम रूप से विचार करने का भी निर्णय लिया गया।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर एवं मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के मध्य **जल प्रदाय की व्यवस्था के लिये एक संयुक्त उपक्रम के गठन के संबंध में एक बैठक दिनांक 6 मार्च, 1997[5] को आयोजित की गई** । समिति सर्व प्रथम इस बैठक एवं पश्चात् की कार्यवाही की विवेचना कर रही है ।

**समिति यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त समझती है कि प्रकरण में जॉच के दौरान समिति को प्रकरण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने में विभाग ने कोई रूचि**

[5] परिशिष्ट क्रमांक– पॉच–क एवं पॉच–ख

नहीं ली । लगातार दस्तावेजों की माँग करने पर समिति के समक्ष भिन्न–भिन्न स्वरूप के आधे–अधूरे दस्तावेज प्रस्तुत किये गये ।

इस बिन्दु में समिति जिस बैठक दिनांक 6 मार्च, 1997 का उल्लेख कर रही है और विवेचना कर रही है अर्थात मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर एवं मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम के संबंध में दिनांक 6 मार्च, 1997 को आयोजित बैठक, के दो कार्य विवरण समिति को उपलब्ध कराये गये । समिति इन दोनों कार्य विवरण को परिशिष्ट – पॉच–क एवं 5–ख के रूप में संलग्न कर रही है । परिशिष्ट क्रमांक– पॉच–क, की बैठक में तथाकथित रूप से आमंत्रित मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर नहीं है, इस कार्य विवरण में कुल 12 बिन्दु उल्लेखित है, वहीं इसी दिनांक के दूसरे कार्य विवरण में मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री एम.पी. राजन के हस्ताक्षर नहीं है, इस कार्य विवरण में 9 बिन्दु है । इन कार्य विवरणों में जिन बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है उनमें भिन्नता भी हैं । परिशिष्ट क्रमांक – पॉच–ख, के बिन्दु क्रमांक–9 के पश्चात् निजी क्षेत्र की अनुभवी कम्पनियों को सम्मिलित करते हुये जल प्रदाय कम्पनी बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव का भी उल्लेख किया गया है।

समिति इन दोनों कार्य विवरणों के संबंध में यहाँ कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती अपितु यह शासन के दायित्वाधीन ही है कि वह समिति को इस प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही करें ।

एक ही तिथि के इन पृथक–पृथक कार्य विवरणों से यह तथ्य प्रकट होता है कि शिवनाथ नदी पर मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड बोरई एवं मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर के मध्य एनीकट निर्माण के संबंध में कुछ शर्तें निर्धारित हुई थीं, जिन में से प्रमुख निम्नानुसार हैं :–

— एनीकट का निर्माण मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के आधार पर किया जायेगा और एनीकट निर्माण में लगने वाली कुल राशि का भुगतान प्रारंभिक तौर पर मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड करेगा किन्तु पश्चात् मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर 50 प्रतिशत राशि का भुगतान मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड द्वारा देयक व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर करेगा और शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान जल प्रदाय हेतु की जाने वाली राशि से 10 समान वार्षिक किश्तों में समायोजित किया जायेगा तथा इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

— मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड एनीकट का निर्माण पूर्ण होने तक रूपये 6.75 प्रति किलो लीटर की दर से उसे प्रदाय जल की राशि का भुगतान करेगा । मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड आगामी 10 वर्षों तक रॉ वाटर 10 रूपये प्रति किलो लीटर की दर से, ट्रीटेड वाटर 11 रूपये प्रति किलो लीटर की दर से प्राप्त करेगा । विद्युत की दरों में वृद्धि के संबंध में भी इसमें प्रावधान सम्मिलित था और यह भी कि 10 वर्षों के पश्चात् जल की दरों में वृद्धि की जा सकेगी । मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड बोरई अपनी जल की मॉग **तत्समय 3.6 एम.एल.डी. से 60 माह के अंदर 7.2 एम.एल.डी.** करेगा और यदि मॉग में वृद्धि नहीं भी होती है, तब भी मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड द्वारा कम से कम 7.2 एम.एल.डी. जल का भुगतान करना बंधनकारी होगा ।

— एनीकट के निर्माण हेतु 18 माह की समयावधि भी निर्धारित की गई थी और इसकी निर्माण लागत 7.5 करोड़ रूपये रखी गई थी ।

समिति के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत हुये हैं, उससे समिति के समक्ष यह तथ्य भी आये है कि मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को दिनांक 6 मार्च, 1997 की बैठक के कार्य विवरण की प्राप्ति के उपरांत मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड ने कार्य विवरण के बिन्दुओं पर संशोधन के स्वरूप में कुछ सुझाव दिये थे । समिति ने मेसर्स एच.ई.जी.

लिमिटेड द्वारा दिये गये सुझाव (उनके पत्र क्रमांक–एच.ई.जी./एनिकट/एकेएस/14954 दिनांक 27 मार्च, 1997)[6] का कार्य विवरण से मिलान किया और यह पाया कि जो सुझाव दिये गये हैं, वे दिनांक 6 मार्च के कार्य विवरण परिशिष्ट क्रमांक – पॉच–क, के बिन्दुओं के अनुरूप है । अतः विभाग द्वारा दिनांक 6 मार्च, 1997 के कार्य विवरण की जो दो पृथक–पृथक प्रतियॉ उपलब्ध करायी गई हैं, उनमें से परिशिष्ट क्रमांक – पॉच–ख, में **संलग्न कार्य विवरण जो विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, वह एक कूटरचित दस्तावेज है और इसी दस्तावेज से जल प्रदाय हेतु निजी क्षेत्र की किसी अनुभवी कम्पनी को साथ लेने का सूत्रपात हुआ ।**

समिति यहॉ यह भी उल्लेख करना चाहती है कि परिशिष्ट क्रमांक– 5 क, में संलग्न कार्य विवरण में मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के किसी भी पदाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है । उक्त कार्य विवरण जब मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को प्राप्त हुआ तो मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड ने उसमें कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने संबंधी पत्राचार मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर के साथ आरंभ किया ।

समिति ने मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड द्वारा जो संशोधन प्रस्तावित किये गये थे, उनका भी गंभीरता से मनन किया । समिति के मत में जो संशोधन मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड द्वारा प्रेषित किये गये थे, वे विचारणीय थे किन्तु मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर ने न तो उन पर गंभीरता से विचार किया और न ही विचार हेतु संचालक मंडल की बैठक में रखा, अपितु जो दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, उससे ऐसा आभास होता है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर येन–केन–प्रकारेण मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को जल प्रदाय योजना के इस परिदृश्य से जान–बूझकर पृथक करना चाहता था । समिति अपने इस निष्कर्ष के समर्थन में समिति के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत हुये हैं, उनकी विवेचना भी करना उपुयक्त समझती है ।

---

[6] परिशिष्ट क्रमांक– छः

**समिति ने मुख्य अभियंता, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड बोरई के जनरल मैनेजर को प्रेषित पत्र क्रमांक–02/टीएस/टीसी/03/90 दिनांक 26 अप्रेल, 1997[7], मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर के प्रबंध संचालक श्री जी.एस. मिश्रा द्वारा मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड बोरई के महाप्रबंधक को प्रेषित पत्र क्रमांक –केविनिरा/आर/ 97/347 दिनांक 15 अप्रैल, 1997[8] एवं क्रमांक–केविनिरा/आर/ 97/807 दिनांक 3 मई, 1997[9]तथा मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर के संचालक मंडल की 68 वीं बैठक दिनांक 24 मार्च, 1998[10] का कार्य विवरण का गंभीरता के साथ मनन एवं विवेचना की ।**

समिति जैसा कि पूर्व में उल्लेख कर चुकी है कि दिनांक 27 मार्च, 1997 (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– छः) को मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री ए.के. सक्सेना ने मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. के अध्यक्ष को प्रेषित अपने पत्र में प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर श्री जी.एस. मिश्रा की उपस्थिति में मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के श्री एम.सी. सोनी एवं अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के साथ 6 मार्च, 1997 को हुई बैठक के संदर्भ में कुछ सुझाव एवं संशोधन प्रेषित किये थे, जिसकी प्रतिलिपि प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर एवं मुख्य अभियंता, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल को भी प्रेषित की गई थी और दिनांक 15 मई, 1997[11] को मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड ने मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के प्रबंध संचालक को शिवनाथ नदी पर एनीकट निर्माण के संबंध में स्मरण कराते हुये पुनः यह संसूचित किया था कि प्रस्ताव के संशोधन के विषय पर मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने उन्हें अवगत नहीं कराया है और इसके साथ ही यह भी सूचित किया था कि **निगम**

---

[7] परिशिष्ट क्रमांक– सात
[8] परिशिष्ट क्रमांक– आठ
[9] परिशिष्ट क्रमांक– नौ
[10] परिशिष्ट क्रमांक– दस
[11] परिशिष्ट क्रमांक– ग्यारह

**की सुस्त एवं ढीली–ढाली कार्य पद्धति के कारण मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को राज्य शासन की योजनाओं के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कोई लाभ एवं सुविधायें प्राप्त नहीं हो सकी हैं** । उन्होंने पत्र में यह इंगित करते हुए कि जब तक लिखित अनुबंध नहीं हो जाता तब तक एनीकट निर्माण के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने में असमर्थ है और इसके साथ ही लिखित अनुबंध करने हेतु भी अनुरोध किया था ।

वही इसके विपरीत मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने उनके पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 1997 (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– आठ) द्वारा मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को यह सूचित किया गया कि दिनांक 6 मार्च, 1997 को श्री एम.पी. राजन, प्रबंध संचालक की उपस्थिति में हुई बैठक में विभिन्न शर्तों का निर्धारण किया गया था **(यद्यपि समिति को प्रस्तुत कार्य विवरण** (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– पॉच क) **में मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के किसी भी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं है, अतः दोनों पक्षों की उपस्थिति में बैठक होने संबंधी कथन से समिति संतुष्ट नहीं है)** और दोनों पक्षों की सहमति से निर्धारित बिन्दुओं पर संचालक मंडल ने बैठक दिनांक 31 मार्च, 1997 में प्रस्तावित संशोधनों को अस्वीकार कर दिया है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित शर्तों में जो संशोधन सुझाये गये थे उन्हें संचालक मंडल की बैठक में विचारार्थ रखा भी गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज समिति को उपलब्ध नहीं हुआ, अतः समिति इस तथ्य को विश्वसनीय नहीं मानती । इसके साथ ही प्रबंध संचालक ने मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड से शीघ्र कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु भी सूचित किया ।

मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के मुख्य अभियंता ने पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1997 (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– सात) के द्वारा पुनः यह सूचित किया कि 6 मार्च, 1997 की बैठक में लिये गये निर्णय में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नहीं है । कार्य में विलम्ब हो रहा है, अतः ग्रीष्म ऋतु में ही कार्य शीघ्र आरंभ कर दिया जाए और इसी आशय का पत्र मध्य प्रदेश औद्योगिक

केन्द्र विकास निगम, रायपुर के प्रबंध संचालक श्री जी.एस. मिश्रा ने दिनांक 3 मई, 1997 (परिशिष्ट– नौ) को पुनः लिखा।

उक्त पत्राचार के पश्चात् दिनांक 24 मार्च, 1998 (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– दस) के कार्य विवरण से समिति के समक्ष यह तथ्य आया है कि दिनांक 2 अगस्त, 1997 को प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के रायपुर प्रवास के दौरान मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के अधिकारियों के साथ एक बैठक रखी गई थी और जैसा कि मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के उपाध्यक्ष श्री ए.के. सक्सेना के फेक्स मैसेज[12] जो कि समिति के समक्ष दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है, से प्रतीत होता है कि यह बैठक एक स्थानीय होटल में रखी गई थी, इस बैठक में ट्रेफिक जाम के कारण मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के अधिकारी उपस्थित नहीं हो सके थे और तत्संबंधी सूचना उन्होंने फेक्स के द्वारा सायंकाल 4.00 बजे प्रेषित भी कर दी थी अर्थात 2 अगस्त, 1997 तक मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर की मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के साथ एनीकट के संबंध में चर्चा जारी थी किन्तु इसके बावजूद मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के तत्कालीन प्रबंध संचालक ने दिनांक 15 अप्रैल, 1997 (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– आठ) के पत्र द्वारा और तत्कालीन मुख्य अभियंता, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने उनके पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1997 (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– सात) द्वारा मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को किसी भी प्रकार के संशोधन को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी ।

जब मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के साथ जल प्रदाय योजना पर चर्चा चल रही थी, प्रस्तावित संशोधन विचाराधीन थे, ऐसी स्थिति में समिति तत्कालीन प्रबंध संचालक एवं तत्कालीन मुख्य अभियंता के उक्तानुसार पत्र व्यवहार पर आश्चर्य एवं क्षोभ व्यक्त करती है और यह संदेह भी व्यक्त करने के लिये विवश है कि तत्कालीन प्रबंध संचालक की कार्यशैली संदेहास्पद है ।

---

[12] परिशिष्ट क्रमांक– बारह

दिनांक 24 मार्च, 1998 (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक –बारह) के संचालक मण्डल की बैठक के कार्य विवरण के विषय क्रमांक–7 से यह स्पष्ट होता है कि संचालक मंडल ने 24 मार्च, 1998 को मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड द्वारा सकारात्मक अभिवृत्ति प्रदर्शित नहीं करने के कारण बूट आधार पर एनीकट निर्माण का प्रयास करने का निर्णय लेते हुये निविदा प्रपत्र आदि तैयार करने हेतु मुख्य अभियंता को निर्देशित कर दिया था और निजी क्षेत्र में एनीकट निर्माण की संभावनाओं पर कार्यवाही करने और बूट या समान स्वरूप के विकल्प के संबंध में भी निर्णय लिया गया और इस हेतु मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर को अधिकृत किया गया।

समिति के समक्ष जो दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत हुये हैं, उसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात् समिति के मत में वस्तुतः जिस उद्देश्य एवं औचित्य के आधार पर संयुक्त उपक्रम में जल प्रदाय की योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया था, धीरे–धीरे मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर के प्रबंध संचालकों की व्यक्तिगत रूचि एवं कारणों तथा येनकेन–प्रकारेण मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को जान–बूझकर सोची–समझी नीति के अंतर्गत परिदृश्य से बाहर करने की कूटरचित योजना के कारण परिदृश्य से ओझल कर दिया गया ।

समिति यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहती है कि संयुक्त उपक्रम में पानी का सबसे बड़ा ग्राहक मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड ही था और इस योजना में मेसर्स एच.ई. जी. लिमिटेड, बोरई की रूचि भी इसलिए थी कि इस योजना से मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड का जल प्राप्त करने का हित जुड़ा हुआ था । उसके साथ जो आरंभिक शर्तें निर्धारित हुई थीं, वे भी तुलनात्मक* रूप से शासन के हित में लाभकारी थी । इसके बावजूद मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के साथ जल प्रदाय की लाभकारी योजना को

---

* कृपया तुलनात्मक चार्ट पृष्ठ 20 पर देखें

अंतिम रूप न देकर बूट आधार पर तुलनात्मक रूप से अलाभकारी शर्तों के साथ जल प्रदाय के क्षेत्र में अनुभवहीन निजी संस्थान के साथ नियमों के विपरित अनुबंध निष्पादित करते हुये बूट आधार पर एनीकट निर्माण एवं जल प्रदाय के अनुबंध से सम्पूर्ण योजना का प्रयोजन उद्देश्य एवं औचित्य ही समाप्त हो गया । फलस्वरूप शासन को जल प्रदाय के प्रथम दिवस से ही हानि उठानी पड़ रही है ।

## तुलनात्मक चार्ट

| मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड | रेडियस वाटर लिमिटेड |
|---|---|
| 1. इसमें 10 वर्षों का अनुबंध प्रस्तावित था, समस्त निर्माण व्यय दो भागों में बंटना था अर्थात मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिंटेड, रायपुर को आधा–आधा व्यय वहन करना था । प्रथमतः समस्त व्यय का भुगतान मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को करना था, 50 प्रतिशत राशि का भुगतान मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड द्वारा देयक व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर मेसर्स एच.ई.जी. को करेगा और शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान जल प्रदाय हेतु प्रदाय की जाने वाली राशि से 10 समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । | 1. इसमें 20 वर्षों का अनुबंध प्रस्तावित था। पूरे व्यय का भुगतान रेडियस के द्वारा किया जाना था, जिसके एवज में आगामी 20 वर्षों तक बूट आधार पर रेडियस को लाभ एवं स्वामित्व प्राप्त होना था । रेडियस वाटर को कम से कम 4 एम.एल.डी. का भुगतान अनिवार्य था । |
| 2. इस जल प्रदाय योजना में स्वयं मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड एक बड़ा उपभोक्ता था उसने 7.2 एम.एल.डी. जल क्रय करना सुनिश्चित किया था अर्थात एक बड़े उपभोक्ता की गारंटी थी । | 2. रेडियस वाटर लिमिटेड स्वयं उपभोक्ता नहीं था तथा न्यूनतम जल प्रदाय की मात्रा 4 एम.एल.डी. निर्धारित थी। किसी उपभोक्ता की कोई गारंटी नहीं थी । |

| | |
|---|---|
| 3. मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड आगामी 10 वर्षों तक रूपये 10 प्रति किलो लीटर (प्रति क्यूबिक मीटर) की दर से प्राप्त करना । | 3. रॉ वाटर की दर प्रथम चरण में 12.60 रूपये प्रति क्यूबिक मीटर तथा दूसरे चरण में 11.00 रूपये प्रति क्यूबिक मीटर निर्धारित थी, जो मेसर्स एच.ई. जी. लिमिटेड वाले प्रस्तावों से अधिक थी एवं रेडियस वाटर लिमिटेड के पक्ष में थी । |
| 4. रॉ वाटर की 10 रूपये की दर 10 वर्षों के लिये निर्धारित थी, किन्तु विद्युत दरों में वृद्धि होने पर इस दर में बढौत्तरी का प्रावधान था, जो मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के पक्ष में था । | 4. रॉ वाटर की दर प्रत्येक वर्ष संशोधित होनी थी, जो रेडियस के पक्ष में था । वैसे भी रूपये 12.60 एवं रूपये 11.00 की दर मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड वाले दर से अधिक है, जो रेडियस वाटर लिमिटेड के पक्ष में है । |
| 5. ट्रीटेड वाटर टेरिफ रू. 11.00 थी अर्थात वाटर ट्रीटमेंट पर प्रति क्यूबिक मीटर (प्रति किलो लीटर) व्यय रूपये 1.00 हाना था । | 5. वाटर ट्रीटमेंट हेतु रूपये 2.00 प्रति क्यूबिक मीटर (प्रति किलो लीटर) निर्धारित थी, जो मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड वाले प्रस्ताव का दोगुना था। |
| 6. सामान्यतः वाटर टेरिफ में 10 वर्ष तक परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं था, जो मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के पक्ष में था । हालांकि यह प्रावधान मात्र मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के पक्ष में था । अन्य उपभोक्ताओं के लिये बंधन नहीं था । | 6. वाटर टेरिफ में प्रति वर्ष परिवर्तन का प्रावधान था, जो रेडियस वाटर लिमिटेड के पक्ष में था । |
| 7. **इफल्यूऐंट ट्रीटमेंट एवं डिस्पोजल :–** मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के प्रस्ताव में इस बाबत् कुछ भी प्रस्तावित नहीं था। | 7. **इफल्यूऐंट ट्रीटमेंट एवं डिस्पोजल :–** इस बिन्दु पर रूपये 4.50 प्रति क्यूबिक मीटर की दर निर्धारित थी, जिसका वहन मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर को करना था । इसका भुगतान रेडियस वाटर लिमिटेड को प्राप्त होना था । |

| | |
|---|---|
| 8. कंडिका (6) के अनुसार मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के द्वारा जो आधा निर्माण व्यय वहन करना था, उसका रिपेमेंट मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड द्वारा देय वाटर चार्जेस के द्वारा 10 वर्षो में समायोजित होना था, जिस पर मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को कोई ब्याज नहीं प्राप्त होना था । | 8. |
| 9. परियोजना 18 माह में रूपये 750 लाख की लागत से पूरी होनी थी । (5 प्रतिशत परिवर्तन होने पर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं) । | 9. परियोजना दो वर्ष में पूरी होनी थी, इसकी लागत 9 करोड़ आई है, बताया जाता है । |
| 10. परियोजना का निरीक्षण नाप–जोख एवं भुगतान दस्तावेज का सम्पूर्ण अधिकार मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर को था । | 10. |
| 11. परिसम्पत्तियों का लीज मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को प्रदाय करने का कोई प्रावधान नहीं था । | 11. अनुबंध तिथि को लगभग 10 करोड़ की परिसम्पत्तियों का लीज रेडियस वाटर लिमिटेड को 20 वर्ष के लिये प्रदाय की गई । |

**बिन्दु क्रमांक–2 :– क्या रेडियस वाटर कम्पनी के साथ अनुबंध करने हेतु औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को अधिकारिता प्राप्त थी ?**

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर कंपनी अधिनियम 1956 के तहत गठित एक लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम की धारा–2(35) एवं (3)(I)(iii) के तहत प्राईवेट कंपनी के रूप में परिभाषित है। इस कंपनी को गठित करने के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अनुषांगिक उद्देश्य और इन दोनों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों का विवरण कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– दो) में विस्तार से उल्लेखित है। समिति ने उद्देश्यों का गंभीरता से अध्ययन एवं मनन किया।

समिति के मत में कंपनी गठित करने का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश में स्थित **औद्योगिक विकास केन्द्र/क्षेत्र को विकसित करना** और इस हेतु शासन या निजी क्षेत्र की भूमि प्राप्त करने के साथ पानी, बिजली, सड़कें आदि **अधोसंरचना को विकसित करना** है। इसके साथ ही उद्योगों को स्थापित करने हेतु स्वयं या संयुक्त उपक्रम के रूप में औद्योगिक योजनाओं को हाथ में लेना, अथवा उनके संवर्धन में सहयोग करना और इन मुख्य उद्वेश्यों की प्राप्ति के लिए यथाआवश्यक अन्य कार्यवाहियां करना, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड के गठन का मुख्य उद्देश्य रहा है। उद्देश्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड को औद्योगिक विकास केन्द्र/क्षेत्र में उद्योगों को समस्त **आवश्यक अधोसंरचना को विकसित करके उद्योगों को बढ़ावा देना है और यह कार्य मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर अपने गठन वर्ष 1981 से करता रहा है।**

जब बोरई उद्योग केन्द्र की स्थापना केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के द्वारा आरंभिक पूंजी क्रमशः 668 लाख एवं 268 लाख लगाकर की गई तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर को इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने की जिम्मेदारी भी दी गई। बोरई उद्योग केन्द्र में

उद्योगों के लिए जल उपलब्ध कराने के संबंध में भी मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड ने कार्यवाही आरंभ की इस हेतु राज्य शासन ने मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर को 4.32 करोड़[13] रूपये अनुदान दिया तथा शासन से प्राप्त अनुदान से मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने इनटेक वेल, ओवर हेड टेंक, जल प्रदाय वाहिनी सहित अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकसित कर उद्योगों को आवश्यकता के अनुरूप जलप्रदाय भी आरंभ किया, समिति के समक्ष ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत हुये है कि निगम की लीन पीरियड में 2.5 एम.एल.डी. और शेष अवधि में 3.6 एम.एल.डी. जल प्रदाय की क्षमता थी । जल प्रदाय की मॉग एवं पूर्ति में अंतर और इस अंतर की प्रतिपूर्ति किस प्रकार से की जाए, का बिन्दु सर्वप्रथम मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड द्वारा अगस्त 1996 से अतिरिक्त 24 लाख लीटर प्रति दिन पानी की आवश्यकता संबंधी उनके पत्र क्रमांक 2933 दिनांक 26.6.1996 से विचार में आया । मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के इस पत्र के जवाब में ही मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को यह सूचित किया कि (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– तीन) **निगम 25 लाख लीटर पानी प्रति दिन प्रदाय कर सकता है तथा निगम ने उच्च क्षमता के व्ही.टी. पम्प आदि स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और इसके पश्चात् चाही गई मात्रा में जल प्रदाय किया जा सकेगा** अर्थात निगम मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड की मॉग की पूर्ति करने में सक्षम था। निगम ने इसके साथ ही मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को यह भी सूचित किया कि ग्रीष्मकाल में एच.ई.जी. लिमिटेड की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती, अतः यह आवश्यक है कि पर्याप्त पानी का भण्डारण किया जाए, इस भण्डारण क्षमता स्थापित करने हेतु एनीकट निर्माण करना होगा ।

मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने एनीकट की अनुमानित लागत लगभग 7.5 करोड़ रूपये होगी, भी सूचित किया । निगम ने इस हेतु मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड, बोरई को एक संयुक्त उपक्रम का प्रस्ताव दिया ताकि एनीकट निर्माण में लगने वाली राशि जिसको वहन करने में निगम असमर्थ था,

---

[13] परिशिष्ट क्रमांक– तेरह

प्रारंभिक तौर पर मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के द्वारा निक्षेप की जाये । वस्तुतः एनीकट निर्माण की निगम की प्रारंभिक योजना केवल मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड की आवश्यकता के **अनुरूप अतिरिक्त जल प्रदाय की आवश्यकता की पूर्ति करना था, न कि बूट (BOOT) आधार पर जल प्रदाय की योजना स्थापित करना ।**

यहाँ समिति इस तथ्य को उल्लेख करना चाहती है कि मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर ने शासन से अनुदान प्राप्त कर लगभग 5 करोड़ रूपये निक्षेप कर बोरई जल प्रदाय योजना स्थापित की थी और इससे 25 लाख लीटर प्रति दिन जल प्रदाय उद्योगों को किया जा रहा था, **अतः बूट आधार पर जल प्रदाय योजना स्थापित करना किसी भी दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं था क्योंकि जल प्रदाय योजना तो पूर्व से स्थापित की जा चुकी थी, केवल अतिरिक्त जल का प्रबंध करना ही शेष था ।**

समिति इन सब तथ्यों का उल्लेख इसलिए करना आवश्यक समझती है, क्योंकि जलप्रदाय जो कि अधोसंरचना विकसित करने के अंतर्गत मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर के दायित्वाधीन था, ने संयुक्त उपक्रम का प्रस्ताव केवल मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड की मांग की पूर्ति के लिए ही किया था अन्यथा स्थिति में तत्समय जल प्रदाय हेतु किसी प्रकार के संयुक्त उपक्रम की आवश्यकता भी थी ऐसा कोई तथ्य समिति के समक्ष जांच के दौरान शासन के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जब प्रारंभिक तौर पर मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के साथ **जल प्रदाय हेतु संयुक्त उपक्रम स्थापित करने हेतु विचार–विमर्श चल रहा था, तब भी न तो निगम की किसी परिसंपत्ति का हस्तांतरण प्रस्तावित था और न ही निगम के द्वारा प्रारंभिक तौर पर किसी प्रकार का पूंजीनिवेश।** प्रारंभिक प्रस्ताव में केवल मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड द्वारा पूंजीनिवेश कर एनीकट का निर्माण किया जाना था, पश्चात् की संपूर्ण कार्यवाही अर्थात् जल प्रदाय, जल कर का अधिरोपण आदि मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के दायित्वाधीन ही था और अनुमानित लगभग रूपये 7.50 करोड़ की राशि जो एनीकट के निर्माण में अनुमानित थी, में से केवल 50 प्रतिशत

राशि का भुगतान निगम को मेसर्स एच.ई.जी लिमिटेड को करना था और शेष 50 प्रतिशत राशि बिना ब्याज के मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को पश्चात् 10 वर्षों में प्रदाय किए जाने वाले जल के मूल्य से समायोजन योग्य थी।

समिति के मत में अधोसंरचना को विकसित करने के लिए किसी अन्य एजेन्सी/संस्था से **अस्थाई रूप से इस प्रकार का सहयोग लेकर अधोसंरचना के विकास को गति देना तो उचित है, किन्तु अधोसंरचना को विकसित करने का जो दायित्व मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड का है, उस दायित्व को ही पूर्णरूपेण किसी निजी कंपनी को हस्तांतरित कर देना, समिति किसी भी दृष्टि से उचित नहीं समझती।** मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा पूर्ण रूप से विकसित एवं स्थापित योजना को हस्तांतरित करने की इस कार्यवाही में मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी नजरअंदाज कर दिया कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर राज्य शासन द्वारा प्रमोट की गई कम्पनी एक्ट के अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु गठित एवं पंजीबद्ध एक कम्पनी है, जिसमें **राज्य शासन की पूंजी निक्षेप की गई है । इसकी परिसम्पत्तियॉ भी राज्य शासन के द्वारा कम्पनी को उपलब्ध करायी गई है और बिना राज्य शासन की अनुमति के मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर को किसी निजी कम्पनी के साथ अनुबंध करने, राज्य शासन की परिसम्पत्तियों को हस्तांतरण करने और अपने दायित्वाधीन कर्तव्यों को बिना शासन की अनुमति के हस्तांतरण की अधिकारिता प्राप्त नहीं है ।**

जैसा कि समिति ने प्रथम बिन्दु में उल्लेख किया है, अधोसंरचना को विकसित करने की प्रक्रिया तो सही दिशा में आरंभ की गई थी, किन्तु पश्चात् अज्ञात कारणों से मूल योजना को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया गया ।

यह कार्यवाही जैसा कि समिति ने प्रथम बिन्दु की विवेचना में दिनांक 06.03.1997 (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– पॉच–ख) को मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र

विकास निगम, रायपुर और मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के मध्य हुई बैठक का कार्य विवरण जिसे समिति ने कूटरचित दस्तावेज ठहराया है, से आरंभ हुई।

समिति के समक्ष यह महत्वपूर्ण तथ्य आया है कि मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध संचालक **दिनांक 14 अक्टूबर, 1997 से कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, राजनांदगांव के संपर्क में थे। जब कैलाश इंजीनियरिंग कंपनी ने प्रबंध संचालक को आटोमेटिक टिल्टिंग गेट्स की वीडियो फिल्म के संबंध में एक पत्र[14] लिखा, और यह सूचित किया कि आटोमेटिक टिल्टिंग गेट्स उनके द्वारा विकसित किए गए है। समिति इस संभावना से इंकार नहीं कर सकती कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के प्रबंध संचालक कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, राजनांदगांव के सम्पर्क में पूर्व से ही थे और इसी कारण मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से एनीकट निर्माण की योजना, शनैः–शनैः परिवर्तित होकर BOOT आधारित योजना में परिवर्तित हो गई और निविदा में भी टिल्टिंग गेट्स का प्रावधान समाहित किया गया । इस तिथि के पश्चात ही जल प्रदाय की आरंभिक योजना जो कि मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में प्रस्तावित थी, को धीरे–धीरे बूट आधार पर पूर्णतः निजी क्षेत्र को देने की योजना में परिवर्तित कर दी गई।**

समिति के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से यह तथ्य स्थापित है कि मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर ने बोरई में जल प्रदाय के लिए लगभग 5 करोड़ से अधिक राशि नियोजित कर औद्योगिक केन्द्र में जल प्रदाय आरंभ कर दिया गया था और आवश्यकता केवल मेसर्स एच.ई.जी. की जल की बढ़ी हुई मांग के लिए ग्रीष्मकाल में जल की व्यवस्था करना था। इस हेतु मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड एनीकट के निर्माण के लिए पूंजीनिवेश हेतु सहमत भी था। यह योजना मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर की अधिकारिता की सीमा में थी। किन्तु **अधोसंरचना विकसित करने के अंतर्गत् जलप्रदाय जैसा महत्वपूर्ण दायित्व**

---

[14] परिशिष्ट क्रमांक– चौदह

**पूर्ण रूप से किसी निजी संस्थान को सौंपने की अधिकारिता मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को प्राप्त नहीं थी, इसके साथ ही राज्य शासन की अनुमति के बिना 500 लाख से अधिक की जल प्रदाय योजना की परिसम्पत्तियाँ निजी कम्पनी को लीज[15] पर मात्र 1 रूपये के टोकन मूल्य पर सौंपा जाना तो समिति के मत में ऐसा सोचा–समझा शासन को सउद्‌देश्य अलाभकारी स्थिति में ढकेलने का कुटिलतापूर्वक किया गया षड़यंत्र है, जिसका अन्य कोई उदाहरण प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मिलना दुर्लभ ही होगा।**

मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत प्रायवेट कम्पनी है और इस कम्पनी को इसकी परिसम्पत्तियाँ जो कि इसे शासन से प्राप्त हुई हैं, को बिना शासन की अनुमति के किसी भी अन्य निजी संस्थान को हस्तांतरित करने की अधिकारिता नहीं है । इसके साथ ही समिति का यह भी मत है कि **एनीकट निर्माण की अनुमति दिया जाना अथवा नदी पर एनीकट निर्माण करने के संबंध में किसी प्रकार का कोई अनुबंध बिना शासन की अनुमति के करना भी मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर की अधिकारिता की परिधि में नहीं आता।**

मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर ने अपनी अधिकारिता के बाहर जाते हुये शासन एवं शासन के द्वारा निर्मित मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के हितों के विपरित समस्त कार्यवाही सम्पादित की और इस सम्पूर्ण कार्यवाही के सम्पादन में भी जान–बूझकर, तथ्यों एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा दी गई सलाह एवं मशविरे को नजर–अंदाज करते हुये अनुबंध सम्पादित किया । मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के संचालक मण्डल के समक्ष प्रबंध संचालक ने सम्पूर्ण तथ्य नहीं रखें। संचालक मंडल की बैठकें केवल औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु जल्दबाजी में संचालकों को उपस्थिति हेतु पर्याप्त समय दिए बिना आहूत की गई।

---

[15] परिशिष्ट क्रमांक– पन्द्रह

विचाराधीन प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्णय संचालक मंडल की 68वीं से 71वीं[16] [17] बैठक में लिये गये और इन बैठकों के कार्य विवरणों से जो महत्वपूर्ण तथ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ, वह यह है कि बैठकों में केवल प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर एवं मुख्य अभियंता, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ही उपस्थित हुए, शेष अन्य कोई भी संचालक बैठकों में उपस्थित नहीं हुए । **इस प्रकार कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड़ को एक सोची–समझी योजना के** अंतर्गत **प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने कूटरचित कार्यवाहियों को प्रक्रिया एवं विधि के छद्म आवरण से ढकने का प्रयास करते हुये** जैसा वे चाहते थे, कार्यवाही सम्पादित की । अपूर्ण एवं तथ्यों के विपरित तथ्य एवं स्थितियाँ संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर संचालक मंडल से न केवल अनुबंध के लिये अनुमोदन प्राप्त किया, अपितु **अनुबंध के संबंध में भी समस्त अग्रिम कार्यवाही के लिये स्वयं को अधिकृत करने संबंधी निर्णय भी सम्मिलित करवाया और चूकि अनुबंध के निष्पादन के लिये तत्कालीन प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर पूर्ण रूप से अधिकृत थे,** अतः आगामी पैराज् में **समिति अनुबंध में हुई त्रुटियों के संबंध में** जो विवेचना कर रही है, उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी तत्कालीन प्रबंध संचालक की है ।

समिति यहाँ बूट आधार पर जल प्रदाय योजना के आरंभ होने के तथ्यों का उल्लेख करना उचित समझती है । संचालक मंडल की 68 वीं बैठक दिनांक 24 मार्च, 1998 (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– दस) के विषय क्रमांक–7 में लिये गये निर्णय के अनुसार बूट आधार पर एनीकट निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन नई दिल्ली के टाईम्स आफ इण्डिया, रायपुर के दैनिक देशबंधु और भोपाल के एम.पी. क्रानिकल में 23 मई, 1998 को किया गया और इस निविदा के आधार पर 4

[16] परिशिष्ट क्रमांक– सोलह
[17] परिशिष्ट क्रमांक– सत्रह

निविदाकारों ने निविदा हेतु आरंभिक वांछित जानकारी देते हुये निविदा प्रपत्र जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये ।

निविदा प्रपत्र जारी करने हेतु आवेदनों की छानबीन पश्चात् निविदा जारी करने के लिये मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड के तत्कालीन मुख्य अभियंता, महाप्रबंधक एवं प्रबंधक की एक समिति[18] गठित की गई थी । समिति ने प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा की और कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, राजनांदगांव को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक – 18/1/91/माध्यम/31/729/BPL दिनांक 29.4.1999 एवं माध्यम/31/880 दिनांक 1.6.1998[19] को टेण्डर डाक्यूमेंट का भाग बनाते हुये टेण्डर डाक्यूमेंट जारी करने की अनुशंसा की । समिति के समक्ष इस संबंध में टेण्डर डाक्यूमेंट संबंधी अनुशंसा[20] का जो दस्तावेज प्राप्त हुआ है, उसमें 3 सदस्यों में से केवल 2 सदस्य मुख्य अभियंता श्री व्ही.एन.पी. श्रीवास्तव एवं महाप्रबंधक श्री एस. के. गुप्ता के हस्ताक्षर है किन्तु प्रबंधक श्री नीरज के. विजय के हस्ताक्षर नहीं है। **दस्तावेजों में समिति को श्री नीरज विजय के द्वारा कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को टेण्डर डाक्यूमेंट जारी नहीं करने के संबंध में एक विस्तृत टीप[21] भी प्राप्त हुई है, जिसमें श्री नीरज विजय ने निम्नानुसार आपत्ति की –**

1. कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड ने पिछले वर्षों में उनके द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा तो प्रस्तुत किया है किन्तु प्राप्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि **बूट आधार पर कम्पनी को किसी भी प्रकार का कार्य करने का अनुभव नहीं है**, जबकि टेण्डर डाक्यूमेंट में **यह एक आवश्यक शर्त है** कि इस कार्य हेतु कम्पनी को इसी प्रकार के **कम से कम 400 लाख के कार्यों का पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है** । कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे इस शर्त की पूर्ति होती हो ।

---

18 परिशिष्ट क्रमांक– अठारह
19 परिशिष्ट क्रमांक– उन्नीस
20 परिशिष्ट क्रमांक– बीस
21 परिशिष्ट क्रमांक– इक्कीस

2. कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उनके यहॉ कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की सूची एवं धरोहर की सूची तो प्रस्तुत की गई है किन्तु कम्पनी के द्वारा उपकरणों, डिजाइन एवं कन्स्ट्रक्शन में योग्यता, गुणवत्ता की सुनिश्चितता हेतु व्यवस्था आदि के संबंध में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है । **श्री नीरज विजय ने इन तथ्यों का परीक्षण करने हेतु मुख्य अभियंता की जिम्मेदारी निरूपित की है ।**

3. कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड की **बेलेंस शीट** और कम्पनी की **कुल पूंजी जो कि टेण्डर डाक्यूमेंट के अनुसार कम से कम 300 लाख होनी चाहिये,** के संबंध में भी कोई अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए ।

4. कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के इस कथन पर कि कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के **अंशधारियों ने रूपये एक करोड़ की शेयर केपिटल सब्सक्राइब करने की इच्छा जाहिर की है,** के संबंध में भी श्री नीरज विजय ने ये शेयर सब्सक्राइब किये गये हैं अथवा नहीं किये गये, जानकारी उपलब्ध नहीं होने का उल्लेख करते हुये (नेट वर्थ) कुल पूंजी के अनुमान के लिये आडिटेड अकाउंट की आवश्यकता बतायी है ।

**समिति को उपरोक्त आपत्तियों की पूर्ति की पुष्टि के प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ ।**

उपरोक्त के साथ श्री नीरज विजय ने यह आपत्ति भी की है कि कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, वे प्रमाणित नहीं है, अतः इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता हेतु इन दस्तावेजों में हस्ताक्षर आवश्यक है ।

समिति के समक्ष जो भी दस्तावेज प्रस्तुत हुये उनमें ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि टेण्डर डाक्यूमेंट जारी करने के पूर्व श्री नीरज विजय की उपरोक्त आपत्तियों का समाधान/निराकरण किया जाकर कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को टेण्डर डाक्यूमेंट जारी किये गये **अर्थात समिति कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को टेण्डर डाक्यूमेंट जारी करना ही, टेण्डर डाक्यूमेंट प्राप्त करने हेतु जो कम्पनी पात्र नहीं है, को टेण्डर डाक्यूमेंट जारी करना मानती है ।**

**निविदा समिति ने बैठक दिनांक 20 जुलाई, 1998[22] में कैलाश इंजीनियरिंग** कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव की शर्तों एवं दरों को अधिक रिस्पांसिव माना और समझौता वार्ता का निर्णय लिया । संचालक मंडल की 70 वीं बैठक (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– सत्रह) दिनांक 21.7.1998 में लिये गये उक्त निर्णय के पालन में रिस्पांसिव निविदाकारों मेसर्स कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, राजनांदगांव एवं मेसर्स जायस्वाल निको लिमिटेड, रायपुर के साथ समझौता वार्ता की गई और समझौता वार्ता प्रस्ताव पर निविदा समिति ने बैठक दिनांक 31.8.1998[23] में विचार–विमर्श किया तथा कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, राजनांदगांव की निविदा एवं समझौता वार्ता प्रस्ताव को सर्वाधिक प्रतियोगी एवं उचित तथा आवश्यकता के अनुरूप मानते हुए स्वीकृति की अनुशंसा की ।

समिति के समक्ष यहाँ यह तथ्य आया है कि जब बूट आधार पर जल प्रदाय के संबंध में कार्यवाही चल रही थी, उस समय औद्योगिक क्षेत्र बोरई में औसत प्रतिमाह 3.6 एम.एल.डी. जल प्रदाय किया जा रहा था और तत्समय जल प्रदाय की दर रूपये 20 प्रति किलो लीटर के अनुसार निगम को प्रति वर्ष 255 लाख राजस्व प्राप्त होना (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– सत्रह) अनुमानित किया गया था और 3.00 एम.एल.डी. जल प्रदाय पर मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर को 219.0 लाख राजस्व अनुमानित किया गया था तथा बूट आधार पर निविदाकार को 4 एम.एल.

[22] परिशिष्ट क्रमांक– बाईस
[23] परिशिष्ट क्रमांक– तेईस

डी. के लिये निविदा की दर 15 रूपये प्रति किलो लीटर तथा आगामी दो वर्षों के लिये संभावित मूल्य वृद्धि की दर 25 प्रतिशत के आधार पर प्रति वर्ष 219 लाख का भुगतान करना पड़ेगा । संचालक मंडल ने निविदा एवं समझौता वार्ता को 71 वीं बैठक दिनांक 1.9.1998 (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– सत्रह) में संकल्प पारित कर अनुमोदित किया।

समिति के समक्ष मेसर्स कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मेसर्स जायस्वाल निको लिमिटेड के साथ समझौता वार्ता का एक तुलनात्मक चार्ट भी प्रस्तुत हुआ है । उक्त तुलनात्मक चार्ट (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– तेईस) के बिन्दु क्रमांक–1 में निविदाकार ने अनुबंध की तिथि से ही (अर्थात कन्सट्रक्शन पीरियड में भी) 4 एम.एल.डी. पानी के प्रदाय की गारंटी ली है । समिति ने इस बिन्दु पर गंभीरता से मनन किया । अनुबंध की तिथि/कन्सट्रक्शन पीरियड अर्थात वह स्थिति जबकि निविदाकार के द्वारा अतिरिक्त जल प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं की गई, उस तिथि को भी जब 4 एम.एल.डी. पानी की गारंटी निविदाकार से मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर ले रहा है, इसका यह स्पष्ट आशय है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर द्वारा उद्योगों को जल प्रदाय की क्षमता 4 एम.एल.डी. विद्यमान थी और प्रारंभिक तौर पर बूट आधार पर योजना की शुरूआत 4 एम.एल.डी. जल प्रदाय के लिये ही आरंभ की गई थी ।

समिति को यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जब 4 एम.एल.डी. की क्षमता थी तब बूट आधार पर एनीकट निर्माण की आवश्यकता क्यों थी ? और यदि आगामी वर्षों में मॉग में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित था, तब जल्दबाजी में बिना सोच विचार के मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के प्रस्ताव को केवल मेसर्स एच.ई. जी. लिमिटेड रूचि नहीं ले रहा है अथवा एनीकट निर्माण की कार्यवाही अप्रेल–मई, 1997 में आरंभ नहीं की गई जैसे अव्यावहारिक मनगढंत आधार पर मूल प्रस्ताव को निरस्त कर आपाधापी में नियमों को ताक पर रखकर बूट आधार पर जल प्रदाय योजना को आरंभ क्यों किया गया ?

समिति के मत में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केन्द्र निगम लिमिटेड, रायपुर के प्रबंध संचालक को बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग करते हुए यह आंकलन करना था कि आगामी एक निश्चित अवधि में (5 वर्ष, 10 वर्ष, ..................... ) कौन–कौन से उद्योग स्थापित होने वाले हैं । विभिन्न उद्योगों को चरणबद्ध रूप से कितने–कितने जल की आवश्यकता होगी और इस प्रकार आंकलन करने के उपरांत ही यदि बूट आधार पर अनुबंध करना भी था तो अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिए थी । समिति के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अनुबंध में जिस प्रकार कम से कम 4 एम.एल.डी. पानी का भुगतान करने की वचनबद्धता मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केन्द्र निगम लिमिटेड, रायपुर ने दी है और पश्चात् जिस प्रकार पृथक–पृथक चरण हेतु मॉग एवं दरों से संबंधित धारा अनुबंध में जोड़ी गई है, उसके संबंध में प्रबंध संचालक ने किसी भी प्रकार का कोई आंकलन किया हो, मनमाने तरीके से बिना किसी अनुवीक्षण के अनुबंध में 4 एम.एल.डी. जल प्रदाय के भुगतान की वचनबद्धता दी और विभिन्न चरणों में जल प्रदाय का काल्पनिक आंकलन करते हुए उसकी दरें निर्धारित करते हुए धारा को अनुबंध में जोड़ा ।

समझौता वार्ता के अन्य बिन्दु जिनका उल्लेख तुलनात्मक चार्ट (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– तेईस) में किया गया है, से यह स्पष्ट नहीं होता कि कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निविदा के साथ जो दरें दी गई थी, क्या उसमें भी समझौता वार्ता के पश्चात् कमी की गई है अथवा जो दरें तुलनात्मक चार्ट में उल्लेखित है, वे समझौता वार्ता के दौरान प्रस्तुत दरें है।

समिति ने समझौता वार्ता में निविदाकारों द्वारा जल की प्रस्तावति दरों का भी अध्ययन किया । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मेसर्स जायस्वाल निको लिमिटेड के द्वारा जो दरें दी गई है, वे स्थिर स्वरूप की है, जबकि कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड की दरें होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर बढ़ाये जाने का प्रावधान किया गया है और प्रावधानित यह किया गया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में 100 प्रतिशत

की वृद्धि अथवा कमी होने पर प्रति वर्ष दरों में 15 प्रतिशत परिवर्तन होगा । समिति ने इस संबंध में भी विचार किया और 20 वर्षों के लम्बी अवधि के लिये समिति के मत में अपरिवर्तनीय दरें अधिक लाभप्रद प्रतीत होती है ।

जो दरें स्वीकृत की गई है, उन्हें निर्धारित करने का आधार क्या है ? इस संबंध में समिति के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुये । उल्लेखनीय यह है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर को 30 पैसे प्रति क्यूबिक **मीटर की दर से पानी सिंचाई विभाग से प्राप्त होता है । जल प्रदाय परियोजना में मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर 5 करोड़ रूपये से अधिक** की राशि निक्षेप कर चुकी है । निविदाकार कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को व्यावहारिक रूप से तो केवल एनीकट का निर्माण करके एक निश्चित बिन्दु पर मॉग के अनुसार पानी प्रदाय करना था पश्चात् पानी का भुगतान आदि प्राप्त करने संबंधित कार्य भी मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर का था । सम्पूर्ण परियोजना में केवल एक बार एनीकट निर्माण में राशि, वह भी मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा स्थापित जल प्रदाय योजना की सम्पत्तियों को गिरवी रखकर व्यवस्था करने के एवज में मनमाने ढंग से बिना किसी आधार के पानी का मूल्य निर्धारण किये जाने को समिति उचित नहीं मानती ।

एक महत्वपूर्ण तथ्य समिति के समक्ष यह भी आया है कि निविदा प्रपत्र कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को जारी किया गया था । पश्चात् निविदा समिति ने जब भी विचार-विमर्श किया, कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव पर ही किया । समझौता वार्ता प्रस्ताव पर निविदा समिति ने विचार उपरांत **कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, राजनांदगांव** की निविदा एवं समझौता वार्ता प्रस्ताव को ही **उनकी बैठक दिनांक 31.8.1998** (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक- तेईस) **में सर्वाधिक प्रतियोगी, उचित** एवं निविदा की आवश्यकता के अनुरूप मानते हुये स्वीकृति की अनुशंसा करने का निर्णय लिया । **किन्तु दूसरे ही दिन अर्थात 1.9.1998 को संचालक मंडल की 71 वीं बैठक** (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक- सत्रह) जिसमें

केवल श्री एम.पी. राजन, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, श्री व्ही.एन.पी. श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड एवं श्री जी.एस. मिश्रा, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर उपस्थित थे और संचालक मंडल के अन्य 4 सदस्य उपस्थित ही नहीं थे, जल्दबाजी में बैठक आहूत की, जबकि संचालक मंडल की बैठक के लिये पर्याप्त समय पूर्व सूचना जारी करना आवश्यक होता है, मात्र तीन सदस्यों की उपस्थिति जिनमें से **प्रबंध संचालक श्री जी.एस. मिश्रा जो अज्ञात कारणों से कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, राजनांदगांव को बूट आधार पर एनीकट निर्माण कार्य सौंपे जाने के लिये लालायित थे और सम्पूर्ण कार्यवाही नियमों एवं प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर सम्पादित करवा रहे थे,** ने विषय क्रमांक–10 पर कैलाश इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, राजनांदगांव और उनके द्वारा प्रोजेक्ट हेतु प्रस्तावित कम्पनी एस.पी.व्ही. (Special purpose vehicle)[41] **रेडियस वाटर लिमिटेड** की ओर से प्रस्तुत निविदा को स्वीकृति प्रदान की । **जबकि निविदा के प्रस्तुत करने से समझौता वार्ता और निविदा स्वीकृति तक रेडियस वाटर लिमिटेड कहीं भी परिदृश्य में नहीं थी ।**

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संचालक मंडल की 70 वीं बैठक (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– सत्रह) दिनांक 21.7.1998 में भी संचालक मंडल के द्वारा जो संकल्प पारित किया गया था, उसमें निगम को कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड से समझौता वार्ता करने का ही संकल्प पारित किया गया था और 71 वीं बैठक के लिये निविदा स्वीकृति हेतु जो अनुशंसा की गई थी, उसमें भी कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, राजनांदगांव की निविदा स्वीकृत करने संबंधी उल्लेख किया गया था । **24 घंटे से कम की अवधि में निविदाकार कम्पनी के स्थान पर एक पृथक से प्रस्तावित कम्पनी परिदृश्य में किस प्रकार से आयी ? समिति के समक्ष यह तथ्य शासन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जा सका । समिति इसे अत्यंत आपत्तिजनक एवं प्रक्रियाओं के विपरित अवांछित लाभ पहुँचाने वाला आपराधिक कृत्य मानती है ।**

---

41 परिशिष्ट क्रमांक – इकतालीस

शासन की ओर से समिति के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसमें यह तथ्य प्रकट हो सके कि संचालक मंडल की 71 वीं बैठक के पूर्व कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड ने बूट आधार पर एनीकट निर्माण के लिये कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड की स्वीकृत निविदा के अनुरूप अनुबंध करने के लिये एस.पी.व्ही रेडियस वाटर लिमिटेड से अनुबंध करने का प्रस्ताव दिया हो और न ही **ऐसा कोई तथ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे यह प्रतिपादित हो सके कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने इस तथ्य का परीक्षण किया था कि** रेडियस वाटर लिमिटेड निविदा की शर्तों की पूर्ति करता था ? एवं बूट आधार पर एनीकट निर्माण के लिये अनुबंध करने हेतु समस्त शर्तों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुये अनुबंध की पात्रता रखती थी ?

जैसा कि समिति ने उपरोक्त विवेचना में प्रतिपादित किया कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर को बिना शासन की अनुमति के अपनी शासकीय परिसम्पत्तियों को हस्तांतरित करते हुये अनुबंध करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी । समिति यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित समझती है कि **रेडियस वाटर लिमिटेड के साथ समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुये अनुबंध करके मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम की ओर से अनुबंधकर्ता हस्ताक्षरी तत्कालीन प्रबंध संचालक श्री जी.एस. मिश्रा ने शासन को अंधेरे में रखकर आपराधिक कृत्य किया** है ।

**बिन्दु क्रमांक–3 :– क्या रेडियस वाटर कम्पनी के साथ अनुबंध करने के पूर्व औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ने राज्य शासन, उद्योग विभाग एवं जल संसाधन विभाग अथवा अन्य समस्त आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली थी एवं प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूर्ण कर ली थी ?**

प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक–1 एवं 2 की विवेचना में समिति ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर को जल प्रदाय योजना के लिए **अपनी परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करते हुए किसी निजी कंपनी से अनुबंध करने की अधिकारिता नहीं थी, और अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करते हुए अनुबंध निष्पादित किया।**

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर को अधिकारिता प्राप्त नहीं थी, इस बिन्दु की विवेचना में समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर की परिसंपत्तियां शासन के द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुदान से निर्मित तथा अर्जित की गई परिसंपत्तियां थी। फलस्वरूप मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के लिए यह आवश्यक एवं बंधनकारी था कि **बूट आधार पर अनुबंध निष्पादित करने के पूर्व राज्य शासन उद्योग विभाग से अनुबंध निष्पादित करने हेतु आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करे। समिति के समक्ष कोई भी ऐसे दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए हैं, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने अनुबंध के पूर्व राज्य शासन की अनुमति प्राप्त की थी।**

उपरोक्त के साथ ही मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 के अध्याय–3 पानी पर अधिकार की धारा 26[24] के अनुसार नदियों, प्राकृतिक झरनों, प्राकृतिक नालों,

[24] परिशिष्ट क्रमांक– चौबीस

तालाबों और अन्य समस्त प्रकार के पानी के प्राकृतिक भण्डारों पर, भण्डार का अधिकार राज्य शासन में निहित है । अधिनियम की धारा 40 में औद्योगिक शहरी अथवा अन्य प्रयोजन हेतु पानी के प्रदाय के संबंध में यह प्रावधानित है कि पानी ऐसी शर्तों के अधीन दिया जा सकता है। जो राज्य सरकार एवं संबंधित कंपनी, फर्म अथवा निजी व्यक्ति या कोई स्थानीय संस्था के साथ में निर्धारित हो। मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने रेडियस वाटर लिमिटेड के साथ जो अनुबंध संपादित किया है, उस अनुबंध की शर्त 8-ए में मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर की रिस्पोंसबिलिटी एंड ओब्लीगेशन के अंतर्गत् यह उल्लेखित किया गया है **कि निगम, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन से लीन समयावधि (LEAN PERIOD) में संपूर्ण कंसेशन वर्षो के लिए जल प्रदाय हेतु अनुमति प्राप्त करवायेगा।** अर्थात् आशय यह हुआ कि अनुबंध के पूर्व मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने राज्य शासन के जल संसाधन विभाग से मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक अनुमति प्राप्त एवं औपचारिकताएं संपादित नहीं की थी।

समिति इस बिन्दु पर यहां यह विशेष रूप से उल्लेख करना चाहती है कि अनुबंध के पश्चात मुख्य अभियंता, महानदी-गोदावरी-कछार, रायपुर ने उनके पत्र क्रमांक-3 जे-1/कार्य/81-ए/मगोक/99, दिनांक 13.12.2002[25] के द्वारा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को प्रेषित पत्र में बोरई औद्योगिक केन्द्र, रसमड़ा, जिला दुर्ग को जलप्रदाय करने बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट की वस्तुस्थिति की प्रस्तुत की है। । इस पत्र में **मुख्य अभियंता ने औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर की कार्यविधि पर निम्नानुसार आक्षेपजनक टिप्पणियां की है** :- कार्यपालन अभियंता, खरखरा, मोंहदीपाट, दुर्ग द्वारा मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर से मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विकास विभाग के आदेश क्रमांक-18/1/91/माध्यम/31/880, भोपाल, दिनांक 01.6.98 ( प्रपत्र VIII) के बिन्दु क्र.1 के परिपालन में अनुबंध फार्म 7(ए) में अतिरिक्त अनुबंध किया। इस एग्रीमेंट के पैरा-2 में यह उल्लेखित है कि (प्रपत्र IX) :-

---

25 परिशिष्ट क्रमांक- पच्चीस

"Whereas the coporation is developing the Borai Industrial Growth Centre P.O.Rasmada 491009 Distt. Durg(M.P.) following Union Government of India order No./13/11/89/E-BA-1/ dt.16th October 1989 and whereas the Government has permitted the corporation to use 30 MLD water from the Sheonath River by creating own sources by construction of Gated Barrages on the River Sheonath, near village Rasmada & Nagpura Distt.Durg (M.P.). Accordingly the corporation has taken up the water supply project and constructing Low Height Gated Barrages as per demand on the River Sheonath near village Rasmada & Nagpura, Distt.Durg (M.P.). It will result this water supply project as an independent source upto 30 MLD demand."

उपरोक्त में यह उल्लेख कि शासन द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर को 30 एम.एल.डी. जल प्रदाय करने की अनुमति दी गई है, यह सर्वथा एवं वास्तविकता के विपरीत है । अतः अनुबंध गैरकानूनी है, एवं निरस्तीकरण योग्य है। (प्रपत्र IX) ।

कार्यपालन यंत्री ने तो अपनी ज्ञाप क्र. 390/दुर्ग, दिनांक 1.2.2000 (प्रपत्र X) द्वारा मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर को शासन द्वारा निर्धारित अनुबंध प्रारूप 7(ए) ही भेजा था, **परन्तु मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा उसमें गलत जानकारी का समावेश कर कार्यपालन यंत्री को प्रस्तुत किया गया।"**

समिति यहाँ यह उल्लेख करना चाहती है कि यही प्रारूप –7(A) निविदा प्रपत्र का भाग था, जिसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी को समिति भी नितान्त अनुचित मानती है ।

उपरोक्त टिप्पणी से स्थिति स्वतः स्पष्ट है कि बूट आधार पर अनुबंध करने की संपूर्ण कार्यवाही में **मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ने किस प्रकार की कार्यशैली कुटरचित दस्तावेजों की रचना एवं नियम विरूद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत् संपूर्ण कार्यवाही संपादित की।**

उपरोक्त विवेचना से समिति का यह स्पष्ट मत है कि मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने रेडियस वाटर कंपनी के साथ अनुबंध करने के पूर्व राज्य शासन से आवश्यक अनुमति एवं अन्य प्रक्रियागत् औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की थी।

समिति द्वारा प्रकरण की जॉच के दौरान जल संसाधन विभाग ने उनके पत्र क्रमांक– 5577/51/सी.बी.एम.पी./जसं/तशा/औजप्र/02/डी–4 दिनांक 24.11.2004[26] के द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा बिना राज्य शासन की स्वीकृति के प्रपत्र –7(A) में निष्पादित अनुबंध दिनांक 30.10.2004 से निरस्त भी कर दिया है ।

[26] परिशिष्ट क्रमांक– छब्बीस

**बिन्दु क्रमांक–4 :– क्या अनुबंध की शर्तें एवं प्रावधान विधि के अनुसार औचित्यपूर्ण है?**

मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के संचालक मंडल की 71 वीं बैठक दिनांक 1 सितम्बर, 1998 (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक–सत्रह) में कैलाश इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड की निविदा/प्रस्ताव बूट आधार पर स्वीकृत किये जाने के उपरांत औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर के स्वीकृति पत्र क्रमांक –एकेव्हीएन(आर)/98/3865 दिनांक 8.9.98[27] द्वारा कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को रेडियस वाटर लिमिटेड के लिये टेण्डर स्वीकृति की सूचना देते हुये एक माह में अनुबंध निष्पादित करने और योजना का क्रियान्वयन, परिचालन एवं रखरखाव और बोरई औद्योगिक जल प्रदाय प्रोजेक्ट हस्तांतरित करवाने संबंधी पत्र प्रेषित किया गया । इस पत्र के प्रतिउत्तर में रेडियस वाटर लिमिटेड ने उनके पत्र क्रमांक–RWL/RJN/98–251 दिनांक 14.9.98[28] द्वारा अनुबंध प्रारूप[29] मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर को प्रेषित किया, जिसका निगम स्तर पर **प्रारंभिक परीक्षण**[30] करते हुये **सूक्ष्म जॉच एवं मूल निविदा व समझौता वार्ता** में प्रस्तावित दर एवं शर्तो से मिलान हेतु **मुख्य अभियंता, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को प्रेषित किये** जाने संबंधी अभिलेख समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये **किन्तु इस अभिलेख को समिति प्रामाणिक नहीं मानती क्योंकि प्रबंध संचालक द्वारा मुख्य अभियंता को जो तथाकथित पत्र अभिलेख प्रेषित करते हुये प्रेषित किया जाना बताया गया है, उस पत्र में जावक क्रमांक एवं तिथि अंकित नहीं है, अतः संदेहरहित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रबंध संचालक जिन्हें मुख्य अभियंता की सलाह एवं मशविरे से अनुबंध निष्पादित करवाना था, ने मुख्य अभियंता को परीक्षण के लिये और अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिये मुख्य अभियंता को प्रेषित किया था।**

---

[27] परिशिष्ट क्रमांक– सत्ताईस

[28] परिशिष्ट क्रमांक– अट्ठाईस

[29] परिशिष्ट क्रमांक– उनतीस

[30] परिशिष्ट क्रमांक– तीस

समिति के द्वारा यह उल्लेख किया जाना कि **"संदेहरहित रूप से नहीं कहा जा सकता"** पर पहुँचने के आधार का एक प्रमुख कारण यह भी है कि अनुबंध का जो प्रारूप रेडियस वाटर लिमिटेड के द्वारा प्रेषित किया गया था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभावकारी संशोधन पश्चात् में नहीं किया गया और अनुबंध वैसा ही सम्पादित हुआ जैसा कि रेडियस वाटर लिमिटेड ने प्रारूप प्रेषित किया था । यह अवश्य है कि समिति को जो दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं, उससे यह तथ्य सामने आता है कि रेडियस वाटर लिमिटेड द्वारा प्रेषित अनुबंध के प्रारूप का परीक्षण परियोजना यंत्री ने दिनांक **21.9.1998 को किया और यह टीप दी थी कि रेडियस वाटर लिमिटेड द्वारा अपने रजिस्ट्रेशन, मेमोरंडम आफ आर्टिकल्स एवं एसोसियेशन संलग्न कर प्रेषित किया गया** है। उन्होंने यह भी अंकित किया है कि सामान्यतः समस्त अनुबंध शासन के वर्क्स मेन्यूअल में निर्धारित विभिन्न फार्म के आधार पर किये जाते हैं । बूट के आधार पर यह पहला कार्य है, इस हेतु कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है, अतः मूल प्रस्ताव, समझौता वार्ता की शर्तों, दरों की जॉच एवं परीक्षण के लिये अनुबंध मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल को प्रेषित किया जाए । किन्तु सपिति को रेडियस वाटर लिमिटेड का मेमोरंडम आफ आर्टिकल्स एवं एसोसियेशन दस्तावेजों में कहीं पर उपलब्ध नहीं हुआ और दस्तावेजों से यह भी प्रतिपादित नहीं हुआ कि मुख्य अभियंता को जैसा कि नोटशीट में उल्लेखित किया गया है परीक्षण के लिये अनुबंध पत्र भेजा गया हो । **समिति के मत में प्रबंध संचालक ने अनुबंध निष्पादित करने वाली समस्त कार्यवाही अपने ही स्तर पर सम्पादित की और संचालक मंडल का वह महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें प्रबंध संचालक को आगामी कार्यवाही हेतु मुख्य अभियंता से सलाह–मशविरे के बाद करने हेतु अधिकृत किया गया था, सउद्देश्य नजर–अंदाज कर दिया ।**

अनुबंध[31] की शर्तों में जिन बिन्दुओं का समावेश किया गया है, समिति के मत में वे आरंभ से ही मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के लिये अलाभप्रद है । इसके साथ ही जब अनुबंध ही उस कम्पनी ने नहीं किया जिस कम्पनी

[31] परिशिष्ट क्रमांक– इकतीस

को निविदा प्रपत्र निर्गमित किया एवं पश्चात् जिसकी निविदा स्वीकृत की तथा इस महत्वपूर्ण तथ्य कि रेडियस वाटर कम्पनी इस कार्य के लिये योग्य है अथवा नहीं ? इसका भी परीक्षण नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में समिति अनुबंध की शर्तों के विस्तार से परीक्षण में तो नहीं जाना चाहती किन्तु समिति के समक्ष **अनुबंध के संबंध में जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य आये हैं, उनका उल्लेख आगामी पृष्ठों में कर रही है** और साथ ही समिति को उपलब्ध अनुबंध के प्रारूप पर प्रारंभिक परीक्षण टीप (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– इकत्तीस) भी संलग्न कर रही है ताकि अनुबंध के प्रावधानों की विधि मान्यता के संबंध में उल्लेखित परीक्षण टीप के साथ–साथ अन्य बिन्दुओं की विधि मान्यता के संबंध में भी निष्कर्ष निकाला जा सके ।

1. निविदा प्रपत्र कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, राजनांदगांव को जारी किया गया था । समझौता वार्ता भी कैलाश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि के साथ की गई थी । कार्य स्वीकृति की सूचना तथा अनुबंध हेतु आमंत्रण भी कैलाश इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को जारी किया गया था किन्तु अनुबंध में मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर एवं **रेडियस वाटर लिमिटेड के मध्य अनुबंध होना पाया गया । समिति उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुबंध को विधि के विपरित मानती है ।**

2. रेडियस वाटर लिमिटेड जिसके साथ में हुए अनुबंध को समिति पैरा–एक के अनुसार विधि अनुरूप नहीं मानती । निविदा की शर्तों की पूर्ति करती है अथवा नहीं ? समिति के समक्ष इस संबंध में भी किसी भी प्रकार के कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये, कि रेडियस वाटर लिमिटेड इस कार्य के लिये **निर्धारित शर्तों के अनुरूप पात्र एवं योग्य कम्पनी है भी अथवा नहीं ?**

3. रेडियस वाटर लिमिटेड के साथ अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात् निष्पादित अनुबध के पैरा 8 (डी) के अनुसार बोरई स्थित जल प्रदाय योजना की समस्त आस्तियों को 1 रूपये प्रति वर्ष की दर पर सम्पूर्ण कंसेशन अवधि हेतु बूट योजना के तहत दिया

जाना था किन्तु ये आस्तियॉ जिनका कुल मूल्य 502.75 लाख रूपये था, कौन–कौन सी और क्या–क्या हैं और उनकी लागत क्या हैं, इसका उल्लेख अनुबंध में नहीं किया गया। 502.75 लाख रूपये की जल प्रदाय प्रोजेक्ट की परिसम्पत्तियॉ भी शासन द्वारा इस हेतु पृथक से लगभग 5 करोड़ के अनुदान के साथ–साथ औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई के योजना हेतु केन्द्र शासन से प्राप्त 668 लाख रूपये का अनुदान और मध्य प्रदेश शासन का 268.05 लाख रूपये का अनुदान से निर्मित की गई थी । **चूंकि ये शासकीय सम्पत्तियॉ थीं, अतः संचालक मंडल का अनुमोदन एवं शासकीय सम्पत्ति होने के कारण शासन की अनुमति भी आवश्यक थी, किन्तु तत्कालीन प्रबंध संचालक ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर–अंदाज करते हुये लीज–डीड का निष्पादन पूर्ण किया।**

4. <u>अनुबंध की धारा–2</u> में यह उल्लेखित है कि प्रोजेक्ट कम्पनी (रेडियस वाटर लिमिटेड) 30 एम.एल.डी. क्षमता का बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र जल प्रदाय योजना का विकास, निर्माण, कमीशन, आपरेट और मेन्टेनेंस अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से करके इस सुविधा का विस्तार कर कन्सेशन पीरियड में राजस्व प्राप्त करेगी । 30 एम. एल.डी. का अनुमान किस आधार पर लगाया गया, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि अनुबंध की धारा 5.3 में जो टेरिफ स्ट्रक्चर बताया गया है, उसके क्रमांक 5.3.A.9 में 9 वें चरण में 27 एम.एल.डी. से अधिक मॉग कितने वर्षों में हो सकेगी, इसका अनुमान लगाने के संबंध में कहीं पर भी कोई दस्तावेज समिति को प्राप्त नहीं हुआ है । वस्तुतः इस धारा में चरणबद्ध रूप से ही जल प्रदाय क्षमता विकसित करने का उल्लेख होना चाहिये था ताकि तद्नुसार ही अन्य शर्तें प्रावधानित की जाती । अनुमान लगाने में त्रुटि अथवा मनमाना अनुमान लगाने के कारण ही अनुबंध प्रथम दिवस से ही मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर एवं शासन के लिये अलाभप्रद स्थिति में रहा ।

5. <u>प्रोजेक्ट कम्पनी द्वारा परियोजना का विकास (Development of Project by the Project Company)</u> :- अनुबंध की धारा 3 (बी)(2) में यह उल्लेख है कि प्रोजेक्ट कम्पनी यह प्रयास करेगी कि जल संसाधन विभाग से 30 एम.एल.डी. जल लीन पीरियड में समय–समय पर मॉग के अनुरूप प्राप्त हो और यदि राज्य सरकार से 30

एम.एल.डी. पानी प्राप्त नहीं होता है, तब प्रोजेक्ट कम्पनी स्वयं का बैराज निर्माण करेगी और बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र को बिना व्यवधान के जल प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु रिजरवायर का निर्माण भी करेगी ।

6. <u>अनुबंध की धारा 3 (बी)(3)</u> में मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के साथ जल की मॉग के अनुरूप अनुबंध भी निष्पादित करेगी । वस्तुतः जिस प्रकार प्रोजेक्ट कम्पनी के लिये मॉग के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की गई है, **वैसा ही प्रावधान अनुबंध में प्रोजेक्ट कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के मध्य यदि होता तो सम्पूर्ण त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के बावजूद औद्योगिक केन्द्र** विकास निगम का हित प्रतिरक्षण हो सकता था, जिसमें गंभीर चूक हुई है ।

7. <u>अनुबंध की धारा 3 (सी) – Financial Management</u> के अंतर्गत भी Debt (उधार) Equity ( पूंजी) का अनुपात 2.6 : 1 रखा गया है और उधार की व्यवस्था के संबंध में 3 (सी) (2) के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि प्रोजेक्ट कम्पनी मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा प्रोजेक्ट कम्पनी को लीज पर दी गई परिसम्पत्तियों को मार्डगेज भी कर सकेगी । **आशय यह हुआ कि प्रोजेक्ट कम्पनी व्यावहारिक रूप से मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर की सम्पत्तियों के ऊपर ही उधार लेकर इस प्रोजेक्ट का निर्माण एवं संचालन करेगी, जबकि टेण्डर डाक्यूमेंट के अनुसार कम्पनी की कुल पूंजी कम से कम 300 लाख होनी चाहिए । अनुबंध की यह शर्त टेण्डर डाक्यूमेंट से मेल नहीं खाती ।**

रेडियस वाटर कम्पनी को कम से कम 4 एम.एल.डी. पानी का भुगतान करने की वचनबद्धता के अंतर्गत अनुबंध के दिन 15 लाख 12 हजार रूपये प्रति माह का भुगतान किया जाना था । अनुबंध में जो दरें निर्धारित की गई वे परिवर्तनीय है । अनुबंध अनुसार होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रत्येक 100 प्रतिशत बढ़ने पर 15 प्रतिशत और विद्युत की दरों में वृद्धि होने पर समानुपातिक रूप से जल की दरों में वृद्धि के प्रावधान भी है ।

8. <u>अनुबंध की धारा 5.3 (एफ)</u> <u>Payment by Corporation</u> - इस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा रेडियस वाटर लिमिटेड को भुगतान किए जाने के संबंध में प्रावधान शामिल किये गये हैं और इसमें 4 एम.एल.डी. पानी प्रति दिन का कम से कम भुगतान का अनुबंध है अर्थात 120 एम.एल.डी. प्रति माह । इसका **आशय यह हुआ कि चाहे पानी की खपत हो अथवा नहीं रेडियस वाटर लिमिटेड को उपरोक्त गणना अनुसार भुगतान करना बंधनकारी है ।**

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 4 एम.एल.डी. पानी प्रति दिन की आवश्यकता अनुबंध के दिन थी ही नहीं, ऐसी स्थिति में 4 एम.एल.डी. पानी की गारंटी दिया जाना समिति के मत में अनुचित है क्योंकि समति के समक्ष विधान सभा में प्रश्न[32] के माध्यम से जो तथ्य आये हैं, उनके अनुसार पानी की आवश्यकता अधिकतम 2.4 एम.एल.डी. तथा न्यूनतम 1.14 एम.एल.डी. ही थी । इस धारा के अंतर्गत जो अन्य उप धारायें दी गई हैं, वे सभी रेडियस वाटर लिमिटेड के हित को ध्यान में रखकर सम्मिलित की गई है किन्तु अनुबंध की धारा 5.3.(एफ)( V) में यदि रेडियस वाटर लिमिटेड किसी माह में Minimum guarantee पानी प्रदाय करने में असमर्थ रहती है तो यह प्रावधानित किया गया है कि रेडियस वाटर लिमिटेड को तीन हजार रूपये प्रति मिलियन लीटर मुआवजा भुगतान करना होगा । **आशय यह हुआ कि 3 रूपये प्रति क्यूबिक लीटर पानी, जबकि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर रेडियस वाटर लिमिटेड को 12.60 रूपये प्रति क्यूबिक लीटर की दर से पानी का भुगतान कर रहा है ।**

9. <u>अनुबंध की धारा 6</u> <u>Rights of the Corporation</u> - धारा 6 (बी) में यह प्रावधानित किया गया है कि **9 एम.एल.डी. प्रति दिन से अधिक पानी की मॉग होती है तो रेडियस वाटर लिमिटेड को मॉग होने के 6 माह पूर्व लिखित में सूचना देनी होगी । इसके विपरित 69 हेक्टेयर जमीन जिसकी आवश्यकता 30 एम.एल.डी. पानी की आवश्यकता होने पर थी, के लिये अनुबंध के प्रारंभिक वर्ष 2001 में ही उपलब्ध करा दी गई ।**

---

[32] परिशिष्ट क्रमांक– बत्तीस

**बिन्दु क्रमांक–5 :– क्या रेडियस वाटर कम्पनी द्वारा अनुबंध की शर्तों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है ?,**

**बिन्दु क्रमांक–6 :– क्या रेडियस वाटर कम्पनी के साथ पानी की आपूर्ति का अनुबंध करते समय एनीकट निर्माण के कारण निजी क्षेत्र की जमीन अधिग्रहित की गई थी और क्या प्रभावित किसानों को मुआवजे की राशि प्राप्त हो गई है और यदि हो गई है तो मुआवजा निर्धारण का आधार क्या है ?**

**एवं**

**बिन्दु क्रमांक–7 :– क्या किसानों को शिवनाथ नदी से पानी लेने से रेडियस वाटर कम्पनी द्वारा रोका जा रहा है और क्या किसानों को एनीकट जल का उपयोग करने अथवा कुऑ खोदकर जल प्राप्त करने के लिए रेडियस वाटर कम्पनी द्वारा कोई शुल्क लिया जाता है ?**

मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र के लिये जल प्रदाय परियोजना के संबंध में अनुबंध करने के पश्चात् निजी क्षेत्र की जमीन अधिग्रहित करने के संबंध में समिति के समक्ष केवल यह जानकारी प्रस्तुत हुई है कि निजी व्यक्तियों द्वारा धारित ग्राम मोहलई, तहसील एवं जिला दुर्ग में 0.20 हेक्टेयर, 0.03 हेक्टेयर एवं 2.07 हेक्टेयर जमीन या तो मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा शासकीय दरों पर क्रय करके उपलब्ध करायी गई अथवा अनुबंधकर्ता कम्पनी ने स्वयं क्रय की ।

समिति ने जब स्थल निरीक्षण किया, तब समिति के समक्ष यह जानकारी भी आयी कि जिन किसानों से भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हें मुआवजा राशि का भुगतान स्थल निरीक्षण के दिनांक तक नहीं हुआ था । इस संबंध में ग्रामवासियों ने समिति को यह जानकारी दी कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वह केवल 900 रूपये प्रति एकड़ है और न्यायालय ने अधिक मुआवजा दिये जाने का निर्णय पारित किया है किन्तु एस.डी.एम. ने बताया कि किसानों द्वारा मुआवजा नहीं लेने पर अवार्ड पारित कर राशि बैंक में जमा करा दी गई है । **स्थल निरीक्षण के दौरान समिति ने यह पाया कि मुख्य**

मार्ग से जल प्रदाय परियोजना स्थल तक (एनीकट निर्माण स्थल तक) रेडियस वाटर लिमिटेड ने प्रतिबंधित क्षेत्र का बोर्ड लगाकर उस मार्ग पर एवं उसके आसपास बहुत बड़े क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है । इस संबंध में समिति ने जॉच के बिन्दु क्रमांक–8 में आपराधिक षड़यंत्रों की निरंतरता के अंतर्गत पृथक से विवेचना की है। यही नही एनीकट के आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र में भी अपना एकाधिकार स्थापित करते हुये अनुबंध की धारा 4.1.F के अंतर्गत केवल 5000 वर्ग फीट क्षेत्र की निर्माण की अनुमति के विपरित बहुत बड़े क्षेत्र को अपने स्वामित्व में ले लिया है । फलस्वरूप ग्रामवासियों को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । समिति ने यह अनुभव किया कि एनीकट निर्माण एवं केवल जल प्रदाय की आड़ में रेडियस वाटर लिमिटेड ने आसपास के ग्रामीणों के लिये पूर्व में उपलब्ध उनके नैसर्गिक सुविधाओं से वंचित करते हुये अपने स्वयं के हित साधन हेतु एनीकट को एक मनोरंजन स्थल के रूप में अपने अधिपत्य में ले लिया है ।

समिति के समक्ष ग्रामवासियों ने जो शिकायतें प्रस्तुत की, वे निम्नानुसार हैं :–

1. नदी के दोनों किनारों पर कॉटेदार वृक्षों का रोपण ।
2. नदी में बोटिंग का आरंभ किया जाना, फलस्वरूप मछुआरों के जाल आदि कटने की शिकायत एवं मछुआरों को मछली पकड़ने से रोका जाना ।
3. एक बहुत बड़े क्षेत्र में ग्रामवासियों को नदी से पानी के उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना ।
4. श्मशान घाट की भूमि का डुबान क्षेत्र में जाना ।

समिति यहॉ केवल कुछ प्रमुख परेशानियों का उल्लेख कर रही हैं । समिति यहॉ उद्धृत करना चाहती है कि बूट आधार पर एनीकट निर्माण के अनुबंध के पश्चात् रेडियस वाटर लिमिटेड ने जिस प्रकार से नदी एवं आसपास के क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित किया है, उससे यही प्रतीत होता है कि एनीकट निर्माण की आड़ में मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने नदी एवं नदी के

आसपास का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रेडियस वाटर लिमिटेड को उनके हित साधन के लिये पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है । समिति के समक्ष ऐसा कोई भी तथ्य नहीं आया जिससे यह प्रकट होता हो कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर रेडियस वाटर लिमिटेड के ऊपर किसी भी प्रकार का पर्यवेक्षण अथवा निरीक्षण कर रहा है ।

**समिति ने यह अनुभव किया कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने रेडियस वाटर लिमिटेड को 20 वर्ष की अवधि के लिये राज्य का एक प्रमुख जल स्रोत एवं एनीकट निर्माण की आड़ में ग्रामवासियों का नैसर्गिक साधन शिवनाथ नदी एवं करोड़ों रूपये की जमीन पूर्ण रूपेण हस्तांतरित कर दी है ।**

समिति यहाँ इस संबंध में समिति के समक्ष जिलाधीश एवं अपर जिलाधीश द्वारा सचिव, जल संसाधन को प्रस्तुत दिनांक 27 सितम्बर, 2002 का प्रतिवेदन[33] एवं स्थल निरीक्षण का संक्षित कार्य विवरण[34] भी संलग्न कर रही है ।

33 परिशिष्ट क्रमांक– तैंतीस
34 परिशिष्ट क्रमांक– चौंतीस

**बिन्दु क्रमांक–8 :– ऐसा कोई विषय जो जॉच के दौरान समिति जॉच के बिन्दुओं में शामिल करना चाहे :**

**आपराधिक षड़यंत्रों की निरंतरता :–**

समिति ने जैसे–जैसे मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा रेडियस वाटर लिमिटेड को बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र जल प्रदाय योजना बूट (BOOT) आधार पर दिए जाने से संबंधित नस्तियों एवं अन्य दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन प्रारंभ किया, दस्तावेजों से एक के बाद एक षड़यंत्रपूर्वक किये गये आपराधिक कृत्य समिति के ध्यान में आयें, जिसके पूर्वोदाहरण संभवतः केवल आपराधिक जगत में ही मिल सकते हैं । प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई शासकीय अधिकारी उद्योगपति के साथ इस प्रकार के षड़यंत्रों की रचना भी कर सकता है ? समिति की कल्पना से बाहर की बात है ।

समिति अपनी उक्त अभिव्यक्ति इसलिए करने को विवश हुई कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर एवं रेडियस वाटर लिमिटेड के मध्य सम्पादित लीज–डीड (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– सोलह) दिनांक 18 जनवरी, 1999 जिसके संबंध में समिति पूर्व के पृष्ठों में विवेचना कर चुकी है, के पश्चात् अनुबंध के ही प्रावधानों के विपरित अनुबंध की तिथि के पश्चात् शासन की बेशकीमती 170 एकड़ जमीन (68.1 हेक्टेयर) रेडियस वाटर लिमिटेड को बिना किसी औचित्य एवं आवश्यकता के निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा दी गई ।

षड़यंत्र की योजना रेडियस वाटर लिमिटेड ने उनके पत्र क्रमांक RWL/BOOT/ 99-51 दिनांक 27.2.1999[35] से प्रारंभ की । रेडियस वाटर लिमिटेड ने अपने इस पत्र में जो कि प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर को सम्बोधित था, में जल प्रदाय के लिये 49 हेक्टेयर जमीन (एप्रोच

---

[35] परिशिष्ट क्रमांक– पैंतीस

रोड सहित) एप्रोच रोड से इन्टेक वेल के अप–स्ट्रीम में आवंटित करने के लिये अनुरोध किया । अपने पत्र में रेडियस वाटर लिमिटेड ने यह भी उल्लेखित किया कि इस जमीन की उसे ग्राउंड वाटर बेलेंसिंग रिजरवायर के निर्माण के लिये आवश्यकता पड़ सकती है । उसने इस पत्र में यह भी उल्लेखित किया कि इस जमीन में से लगभग 1 हेक्टेयर जमीन का उपयोग ऑफिस, स्टोर एवं स्टाफ क्वाटर के लिये करेंगे और शेष जमीन भविष्य में ग्राउंड वाटर बेलेंसिंग रिजरवायर के निर्माण के लिये फेंसिंग करके सुरक्षित रख दी जायेगी । अपनी आपराधिक परिकल्पना परिलक्षित न हो, इस उद्देश्य से उसने अपने पत्र में यह भी उल्लेखित किया कि –

" You will appreciate we have intentionally selected an unuseful land to construct the office, staff quarter by developing landscape and to construct the balancing reservoir(s), if required. Kindly allot this land to us, following clause 8(b) of the BOOT Agreement dt. 05th October 1998."

दिनांक 29 मार्च, 1999 को रेडियस वाटर लिमिटेड ने उनके पत्र क्रमांक– RWL/BOOT/ 99-69[36] द्वारा प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर को उनके पत्र क्रमांक – RWL/BOOT/ 99-51 दिनांक 27.2.1999 (कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक– पैंतीस) के संदर्भ में उनके द्वारा बूट एग्रीमेंट की धारा 8 (बी) के अंतर्गत 49 हेक्टेयर जमीन के आवंटन का स्मरण कराते हुए यह सूचित किया कि **49 हेक्टेयर जमीन के आवंटन को दिनांक 18 जनवरी, 1999 को सम्पादित लीज–डीड का पार्ट बनाया जा सकता है और सभी शर्तें पूर्व में सम्पादित लीज–डीड के अनुसार ही रहे ।**

रेडियस वाटर लिमिटेड के द्वारा प्रेषित पत्र प्रबंध संचालक को प्राप्त होने के पश्चात् **49 हेक्टेयर जमीन रेडियस वाटर लिमिटेड को उपलब्ध कराने की कार्यवाही ऐसी द्रुत गति से प्रारंभ हुई,** जैसे कि प्रबंध संचालक जमीन समर्पित करने के लिये

[36] परिशिष्ट क्रमांक– छत्तीस

तैयार बैठे थे और केवल रेडियस वाटर लिमिटेड के पत्र का इंतजार ही कर रहे थे । उन्होंने दिनांक 5 अप्रैल, 1999 को संचालक मंडल की 74 वीं बैठक के लिये औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई की जल प्रदाय योजना को बूट (BOOT) आधार पर हुये अनुबंध के साथ प्रोजेक्ट कम्पनी रेडियस वाटर लिमिटेड को 49 हेक्टेयर जमीन आवंटन से संबंधित विषय से एक प्रस्ताव[37] की रचना की। इस प्रस्ताव में अपनी भ्रष्ट मानसिकता को छिपाने के उद्देश्य से बिन्दु क्रमांक–5 (अ, ब, स, द, इ, फ, क) का उल्लेख किया और फिर निम्नानुसार संकल्प पारित करने का अनुरोध किया –

**"संकल्प पारित किया जाता है कि औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई, जिला दुर्ग की जल प्रदाय योजना हेतु मेसर्स रेडियस वाटर लिमिटेड के साथ निष्पादित बूट अनुबंध के अनुसार 49 हेक्टेयर जमीन बेलेंसिंग रिजरवायर हेतु तत्काल प्रभाव से आरक्षित करने एवं उक्त जमीन मेसर्स रेडियस वाटर लिमिटेड को निःशुल्क उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की जाती है ।"** और फिर जैसा कि समिति अपने पूर्व के पृष्ठों में उल्लेखित कर चुकी है, संचालक मंडल की 74 वीं बैठक[38] में जैसा प्रबंध संचालक चाहते थे हुबहू वैसा ही संकल्प पारित किया गया ।

संचालक मंडल द्वारा पारित उक्त संकल्प के पश्चात् जैसा कि रेडियस वाटर लिमिटेड चाहती थी, वैसी ही सम्पूर्ण कार्यवाही को अमली–जामा पहनाते हुए संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प में हेराफेरी कर लीज–डीड दिनांक 18 जनवरी, 2001 को सम्पादित की गई ।

**इस तिथि तक नये राज्य का गठन हो गया था । राज्य की जनता और अधिकारी नव गठित राज्य के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे । सभी के मन में इस राज्य की स्वच्छ छवि के साथ विकास की राह पर तीव्र गति से बढ़ाने की भावना का आर्विभाव हुआ था किन्तु ऐसे समय में भी प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर अपने आपराधिक कृत्यों में संलग्न रहे ।**

---

[37] [illegible]– सैंतीस
[38] [illegible]– अडतीस

दिनांक 18 जनवरी, 2001 को सम्पादित लीज–डीड जिसकी प्रति समिति को प्राप्त हुई है, उसमें संचालक मंडल में **पारित 49 हेक्टेयर जमीन आवंटित करने के संकल्प के विपरित 68.10 हेक्टेयर (170.25 एकड़) जमीन पूर्व में सम्पादित लीज–डीड की सूची में सम्मिलित कर रेडियस वाटर लिमिटेड को अपने कर्तव्यों एवं शासन के प्रति निष्ठा की अपनी वचनबद्धता को दरकिनार करते हुए इस प्रकार से सौंप दी जैसे कि यह उनकी निजी सम्पत्ति हो । समिति के समक्ष 49 हेक्टेयर से 68.10 हेक्टेयर जमीन दिए जाने का निर्णय कब और कैसे हुआ ? इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ । दस्तावेजों के अभाव में समिति के मत में यह कृत्य जालसाजी की श्रेणी में आता है ।**

समिति के समक्ष उपरोक्त के अतिरिक्त रेडियस वाटर लिमिटेड द्वारा निजी क्षेत्र की 42 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहित कर सौंपे जाने के संबंध में भी पत्राचार[39] दृष्टव्य हुआ है किन्तु जो दस्तावेज उपलब्ध हुए हैं उससे यह प्रकट नहीं हो पा रहा है कि इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही क्या हुई अर्थात क्या जमीन रेडियस वाटर लिमिटेड को मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करायी गई अथवा नहीं ? **यह जॉच का विषय है ।**

समिति यहॉ अनुबंध की धारा 8 के अंतर्गत सम्पादित लीज–डीड एवं धारा 8(डी) के अंतर्गत जो परिसम्पत्तियॉ रेडियस वाटर लिमिटेड को एक रूपये प्रति वर्ष के किराये पर 4.10.2000 से सौंपी गई, को भी उल्लेखित करना चाहती है । लीज–डीड में यह भी प्रावधानित कर दिया गया कि रेडियस वाटर लिमिटेड का सूची की परिसम्पत्तियों पर पूर्ण एकाधिकार होगा और वह इसे मार्डगेज, हाइपोथिकेशन भी कर सकेगा ।

[39] परिशिष्ट क्रमांक– उनचालीस

समिति का ध्यान परिसम्पत्तियों की सूची की ओर भी आकृष्ट हुआ है । सूची में कुल 16 मद है और इसमें आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि 1 से 15 मदों के अंतर्गत, यहाँ तक कि ऐसी मद जो मात्र 1.3 लाख रूपये की है, का भी विवरण दिया गया है किन्तु मद क्रमांक–16 OTHERS में 65.50 लाख रूपये का कोई विवरण दिया ही नहीं गया । परिसम्पत्तियों की सूची में भी जो मूल्य अंकित है वह वर्ष 1989–90 में 44.89 लाख, 1991–94 में 118.25 लाख, 1995–97 में 117.05 लाख और 1997–98 में 53.06 लाख है किन्तु इन परिसम्पत्तियों को यदि अनुबंध की तिथि को अर्जित किया जाता तो मूल्य क्या होता ? यह दर्शित नहीं किया गया है । **समिति के मत में 502.75 लाख रूपये की जिन परिसम्पत्तियों के मूल्य की गणना की गई है, यदि वह अधोसंरचना अनुबंध की तिथि को निर्मित की जाती तो निश्चित तौर पर वह तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक होती और इस प्रकार रेडियस वाटर लिमिटेड को पूर्ण रूप से विकसित करोड़ों रूपये की जल प्रदाय अधोसंरचना व 176 एकड़ बेशकीमती जमीन परियोजना क्षेत्र में शिवनाथ नदी पर एकाधिकार केवल एक रूपये वार्षिक की लीज पर देकर शासन को गंभीर क्षति पहुँचाई गई ।**

# निष्कर्ष एवं सिफारिश

प्रतिवेदन में जॉच के बिन्दुओं की विवेचना के साथ-साथ समिति ने विवेचना के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणियॉ अंकित की हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

1. समिति यहॉ यह उल्लेख करना उपयुक्त समझती है कि प्रकरण में जॉच के दौरान समिति को प्रकरण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने में विभाग ने कोई रूचि नहीं ली । लगातार दस्तावेजों की मॉग करने पर समिति के समक्ष भिन्न-भिन्न स्वरूप के आधे-अधूरे दस्तावेज प्रस्तुत किये गये । (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक - 12 एवं 13)

2. जब मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के साथ जल प्रदाय योजना पर चर्चा चल रही थी, प्रस्तावित संशोधन विचाराधीन थे, ऐसी स्थिति में समिति तत्कालीन प्रबंध संचालक श्री जी.एस. मिश्रा एवं मुख्य अभियंता श्री व्ही.एन.पी. श्रीवास्तव के उक्तानुसार पत्र व्यवहार पर आश्चर्य एवं क्षोभ व्यक्त करती है और यह संदेह भी व्यक्त करने के लिये विवश है कि तत्कालीन प्रबंध संचालक की कार्यशैली संदेहास्पद है । (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक - 18 )

3. समिति के समक्ष जो दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत हुये हैं, उसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात् समिति के मत में वस्तुतः जिस उद्देश्य एवं औचित्य के आधार पर संयुक्त उपक्रम में जल प्रदाय की योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया था, धीरे-धीरे मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर के प्रबंध संचालकों की व्यक्तिगत रूचि एवं कारणों तथा येनकेन-प्रकारेण मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड को जान-बूझकर सोची-समझी नीति के अंतर्गत परिदृश्य से बाहर करने की कूटरचित योजना के कारण परिदृश्य से ओझल कर दिया गया । (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक - 19)

4. समिति यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहती है कि संयुक्त उपक्रम में पानी का सबसे बड़ा ग्राहक मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड ही था और इस योजना में मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड, बोरई की रूचि भी इसलिए थी कि इस योजना से मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड का जल प्राप्त करने का हित जुड़ा हुआ था । उसके साथ जो आरंभिक शर्तें निर्धारित हुई थीं, वे भी तुलनात्मक रूप से शासन के हित में लाभकारी थी । इसके बावजूद मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के साथ जल प्रदाय की लाभकारी योजना को अंतिम रूप न देकर बूट आधार पर तुलनात्मक रूप से अलाभकारी शर्तों के साथ जल प्रदाय के क्षेत्र में अनुभवहीन निजी संस्थान के साथ नियमों के विपरित अनुबंध निष्पादित करते हुये बूट आधार पर एनीकट निर्माण एवं जल प्रदाय के अनुबंध से सम्पूर्ण योजना का प्रयोजन उद्देश्य एवं औचित्य ही समाप्त हो गया । फलस्वरूप शासन को जल प्रदाय के प्रथम दिवस से ही हानि उठानी पड़ रही है । (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक – 19 एवं 20)

5. समिति के मत में अधोसंरचना को विकसित करने के लिए किसी अन्य एजेन्सी/संस्था से अस्थाई रूप से इस प्रकार का सहयोग लेकर अधोसंरचना के विकास को गति देना तो उचित है, किन्तु अधोसंरचना को विकसित करने का जो दायित्व मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड का है, उस दायित्व को ही पूर्णरूपेण किसी निजी कंपनी को हस्तांतरित कर देना, समिति किसी भी दृष्टि से उचित नहीं समझती। मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा पूर्ण रूप से विकसित एवं स्थापित योजना को हस्तांतरित करने की इस कार्यवाही में मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी नजरअंदाज कर दिया कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर राज्य शासन द्वारा प्रमोट की गई कम्पनी एक्ट के अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु गठित एवं पंजीबद्ध एक कम्पनी है, जिसमें राज्य शासन की पूंजी निक्षेप की गई है । इसकी परिसम्पत्तियाँ भी राज्य शासन के द्वारा कम्पनी को उपलब्ध

करायी गई है और बिना राज्य शासन की अनुमति के मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर को किसी निजी कम्पनी के साथ अनुबंध करने, राज्य शासन की परिसम्पत्तियों को हस्तांतरण करने और अपने दायित्वाधीन कर्तव्यों को बिना शासन की अनुमति के हस्तांतरण की अधिकारिता प्राप्त नहीं है । (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक – 26)

6. यह योजना मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर की अधिकारिता की सीमा में थी। किन्तु अधोसंरचना विकसित करने के अंतर्गत् जलप्रदाय जैसा महत्वपूर्ण दायित्व पूर्ण रूप से किसी निजी संस्थान को सौंपने की अधिकारिता मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को प्राप्त नहीं थी, इसके साथ ही राज्य शासन की अनुमति के बिना 500 लाख से अधिक की जल प्रदाय योजना की परिसम्पत्तियॉ निजी कम्पनी को लीज[16] पर मात्र 1 रूपये के टोकन मूल्य पर सौंपा जाना तो समिति के मत में ऐसा सोचा–समझा शासन को सउद्देश्य अलाभकारी स्थिति में ढकेलने का कुटिलतापूर्वक किया गया षड़यंत्र है, जिसका अन्य कोई उदाहरण प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मिलना दुर्लभ ही होगा। (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक – 27 एवं 28)

7. समिति का यह भी मत है कि एनीकट निर्माण की अनुमति दिया जाना अथवा नदी पर एनीकट निर्माण करने के संबंध में किसी प्रकार का कोई अनुबंध बिना शासन की अनुमति के करना भी मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर की अधिकारिता की परिधि में नहीं आता। (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक – 28)

8. अनुबंध की तिथि/कन्सट्रक्शन पीरियड़ अर्थात वह स्थिति जबकि निविदाकार के द्वारा अतिरिक्त जल प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं की गई, उस तिथि को भी जब 4 एम.एल.डी. पानी की गारंटी निविदाकार से मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर ले रहा है, इसका यह स्प

आशय है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड, रायपुर द्वारा उद्योगों को जल प्रदाय की क्षमता 4 एम.एल.डी. विद्यमान थी और प्रारंभिक तौर पर बूट आधार पर योजना की शुरूआत 4 एम.एल.डी. जल प्रदाय के लिये ही आरंभ की गई थी । (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक – 33)

9. समिति को यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जब 4 एम.एल.डी. की क्षमता थी तब बूट आधार पर एनीकट निर्माण की आवश्यकता क्यों थी ? और यदि आगामी वर्षों में मॉग में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित था, तब जल्दबाजी में बिना सोच विचार के मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के प्रस्ताव को केवल मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड रूचि नहीं ले रहा है अथवा एनीकट निर्माण की कार्यवाही अप्रेल–मई, 1997 में आरंभ नहीं की गई जैसे अव्यावहारिक मनगढंत आधार पर मूल प्रस्ताव को निरस्त कर आपाधापी में नियमों को ताक पर रखकर बूट आधार पर जल प्रदाय योजना को आरंभ क्यों किया गया ? (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक – 33)

10. 24 घंटे से कम की अवधि में निविदाकार कम्पनी के स्थान पर एक पृथक से प्रस्तावित कम्पनी परिदृश्य में किस प्रकार से आयी ? समिति के समक्ष यह तथ्य शासन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जा सका । समिति इसे अत्यंत आपत्तिजनक एवं प्रक्रियाओं के विपरित अवांछित लाभ पहुँचाने वाला आपराधिक कृत्य मानती है । (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक – 36)

11. रेडियस वाटर लिमिटेड के साथ समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुये अनुबंध करके मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम की ओर से अनुबंधकर्ता हस्ताक्षरी तत्कालीन प्रबंध संचालक श्री जी.एस. मिश्रा ने शासन को अंधेरे में रखकर आपराधिक कृत्य किया है । (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक – 37)

12. मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के लिये यह आवश्यक एवं बंधनकारी था कि बूट आधार पर अनुबंध निष्पादित करने के पूर्व राज्य शासन उद्योग विभाग से अनुबंध निष्पादित करने हेतु आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करे। समिति के समक्ष कोई भी ऐसे दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए हैं, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने अनुबंध के पूर्व राज्य शासन की अनुमति प्राप्त की थी। (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक – 38)

13. मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 के अध्याय–3 पानी पर अधिकार की धारा 26[25] के अनुसार नदियों, प्राकृतिक झरनों, प्राकृतिक नालों, तालाबों और अन्य समस्त प्रकार के पानी के प्राकृतिक भण्डारों पर, भण्डार का अधिकार राज्य शासन में निहित है । अधिनियम की धारा 40 में औद्योगिक शहरी अथवा अन्य प्रयोजन हेतु पानी के प्रदाय के संबंध में यह प्रावधानित है कि पानी ऐसी शर्तो के अधीन दिया जा सकता है। जो राज्य सरकार एवं संबंधित कंपनी, फर्म अथवा निजी व्यक्ति या कोई स्थानीय संस्था के साथ में निर्धारित हो। मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने रेडियस वाटर लिमिटेड के साथ जो अनुबंध निष्पादित किया है, उस अनुबंध की शर्त 8–ए में मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर की रिस्पोंसबिलिटी एंड ओब्लीगेशन के अंतर्गत् यह उल्लेखित किया गया है कि निगम, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन से लीन समयावधि (LEAN PERIOD) में संपूर्ण कंसेशन वर्षो के लिए जल प्रदाय हेतु अनुमति प्राप्त करवायेगा। अर्थात् आशय यह हुआ कि अनुबंध के पूर्व मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने राज्य शासन के जल संसाधन विभाग से मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक अनुमति प्राप्त एवं औपचारिकताएं संपादित नहीं की थी। (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक – 38 एवं 39)

सूक्ष्म जॉच एवं मूल निविदा व समझौता वार्ता में प्रस्तावित दर एवं शर्तों से मिलान हेतु मुख्य अभियंता, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को प्रेषित किये जाने संबंधी अभिलेख समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये किन्तु इस अभिलेख को समिति प्रामाणिक नहीं मानती क्योंकि प्रबंध संचालक द्वारा मुख्य अभियंता को जो तथाकथित पत्र अभिलेख प्रेषित करते हुये प्रेषित किया जाना बताया गया है, उस पत्र में जावक क्रमांक एवं तिथि अंकित नहीं है, अतः संदेहरहित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रबंध संचालक जिन्हें मुख्य अभियंता की सलाह एवं मशविरे से अनुबंध निष्पादित करवाना था, ने मुख्य अभियंता को परीक्षण के लिये और अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिये मुख्य अभियंता को प्रेषित किया था। (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक – 42)

15. मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा रेडियस वाटर लिमिटेड को भुगतान किए जाने के संबंध में प्रावधान शामिल किये गये हैं और इसमें 4 एम.एल.डी. पानी प्रति दिन का कम से कम भुगतान का अनुबंध है अर्थात 120 एम.एल.डी. प्रति माह । इसका आशय यह हुआ कि चाहे पानी की खपत हो अथवा नहीं रेडियस वाटर लिमिटेड को उपरोक्त गणना अनुसार भुगतान करना बंधनकारी है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि 4 एम.एल.डी. पानी प्रति दिन की आवश्यकता अनुबंध के दिन थी ही नहीं, ऐसी स्थिति में 4 एम.एल.डी. पानी की गारंटी दिया जाना समिति के मत में अनुचित है क्योंकि समति के समक्ष विधान सभा में प्रश्न[33] के माध्यम से जो तथ्य आये हैं, उनके अनुसार पानी की आवश्यकता अधिकतम 2.4 एम.एल.डी. तथा न्यूनतम 1.14 एम.एल.डी. ही थी । इस धारा के अंतर्गत जो अन्य उप धारायें दी गई हैं, वे सभी रेडियस वाटर लिमिटेड के हित को ध्यान में रखकर सम्मिलित की गई है किन्तु अनुबंध की धारा 5.3.(एफ)(V) में यदि रेडियस वाटर लिमिटेड किसी माह में **Minimum guarantee** पानी प्रदाय करने में असमर्थ रहती है तो यह प्रावधानित किया गया है कि रेडियस वाटर लिमिटेड को तीन हजार रूपये प्रति एम.एल.डी. मुआवजा भुगतान करना होगा । आशय यह हुआ कि 3 रूपये प्रति

क्यूबिक लीटर पानी जबकि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर रेडियस वाटर लिमिटेड को 12.60 रूपये प्रति क्यूबिक लीटर की दर से पानी का भुगतान कर रहा है । (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक – 47)

16. समिति ने यह अनुभव किया कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर ने रेडियस वाटर लिमिटेड को 20 वर्ष की अवधि के लिये राज्य का एक प्रमुख जल स्रोत एवं एनीकट निर्माण की आड़ में ग्रामवासियों का नैसर्गिक साधन शिवनाथ नदी एवं करोड़ों रूपये की जमीन पूर्ण रूपेण हस्तांतरित कर दी है । (कृपया देखें पृष्ठ क्रमांक – 50)

जॉच के विभिन्न बिन्दुओं की विवेचना उपरांत क्रमांक 1 से 16 तक समिति द्वारा विवेचना के परिप्रेक्ष्य में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में समिति यह टिप्पणी करते हुए कि :–

**मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के जिन अधिकारियों पर विश्वास करके शासन ने शासन के हित साधन की जिम्मेदारी सौंपी थी, जब वे अधिकारी ही भ्रष्टाचार के केन्द्र बिन्दु थे, तब ऐसे निर्णय जो कि इस सम्पूर्ण जल प्रदाय योजना में समय–समय पर लिये गये, से अलग निर्णयों की उम्मीद करना समिति बेमानी ही समझती है ।**

**समिति यह सिफारिश करती है कि** रेडियस वाटर लिमिटेड के साथ मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम) के मध्य निष्पादित अनुबंध एवं लीज–डीड को प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत करने के **एक सप्ताह की अवधि में निरस्त करते हुए समस्त परिसम्पत्तियों एवं जल प्रदाय योजना का आधिपत्य** छत्तीसगढ़ **राज्य औद्योगिक** विकास निगम द्वारा वापस ले लिया जाए ।

मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के तत्कालीन प्रबंध संचालकों एवं मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता के विरूद्ध षड़यंत्रपूर्वक शासन को हानि पहुँचाने, शासकीय सम्पत्तियों को अविधिमान्य रूप से दस्तावेजों की कूटरचना करते हुए एवं हेराफेरी करके निजी संस्था को सौंपे जाने के आरोप में प्रथम सूचना प्रतिवेदन कर उनके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही संस्थापित की जाए और इस आपराधिक षड़यंत्र में सहयोग करने और छलपूर्वक शासन को क्षति पहुँचाते हुए लाभ प्राप्त करने के आधार पर रेडियस वाटर लिमिटेड के मुख्य पदाधिकारी के विरूद्ध भी अपराध दर्ज कराया जाए ।

इसके साथ ही मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, रायपुर एवं जल संसाधन विभाग के तत्कालीन अधिकारी जिनकी संलिप्तता इस सम्पूर्ण षड़यंत्र में परिलक्षित हो, इस संबंध में भी विवेचना कर उनके विरूद्ध भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही एक माह की अवधि में आरंभ की जाए ।

समिति द्वारा अनुशंसित सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित करने की जिम्मेदारी सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपते हुए शासन का हित रक्षण करने के लिये उत्कृष्ट विधिक सेवा प्राप्त करते हुए आवश्यकतानुसार न्यायालयीन प्रक्रियाओं में विधिक प्रतिरक्षण हेतु भी पर्याप्त एवं समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि विधिक प्रतिरक्षण के अभाव में अथवा कमजोर विधिक प्रतिरक्षण के कारण शासन को अनावश्यक रूप से अलाभकारी स्थिति में न रहना पड़े ।